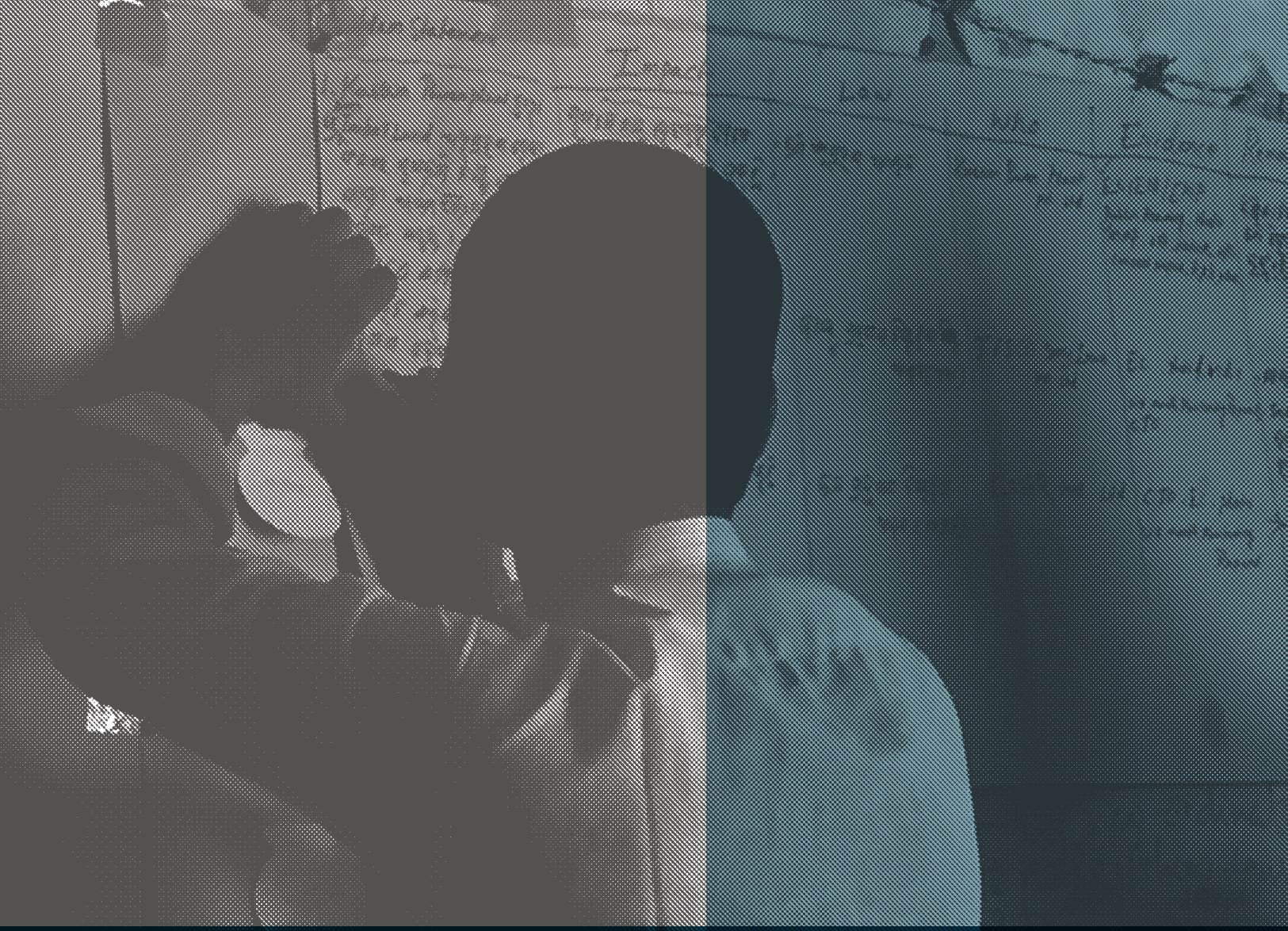

पर्यावरणीय न्याय के लिए
पैरालीगल

अभ्यास पुस्तिका

द्वितीय संस्करण

सेन्टर फॉर पॉलिसी रिसर्च (सी.पी.आर.) – नमति पर्यावरणीय न्याय कार्यक्रम

CENTRE FOR POLICY RESEARCH

NAMATI
INNOVATIONS IN LEGAL EMPOWERMENT

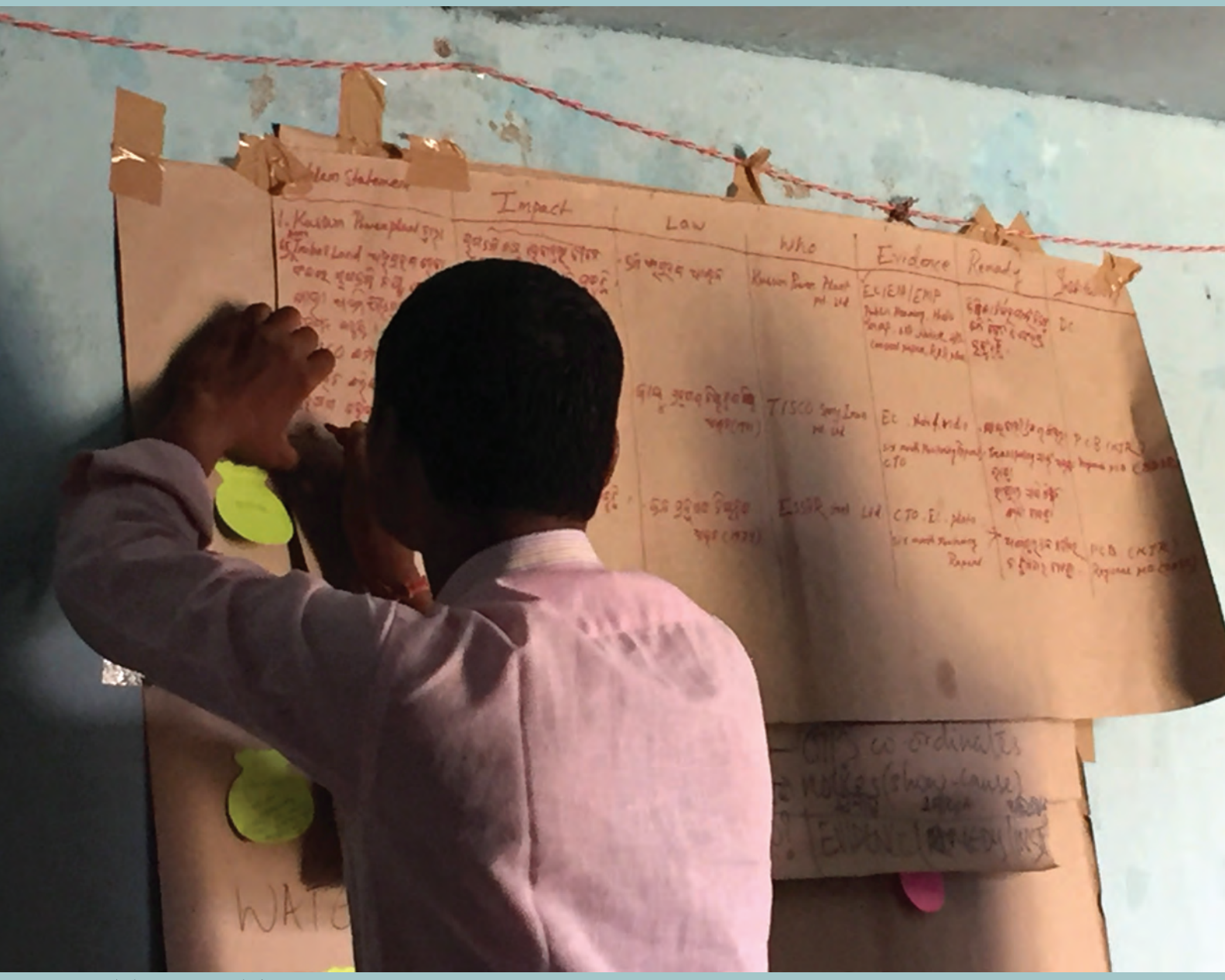

केओन्झार, उड़ीसा में पैरालीगल प्रशिक्षण

दिसंबर 2017

लेखन	मंजू मेनन, मीनाक्षी कपूर, विवेक मारू, कांची कोहली
संपादन और प्रशासनिक सहयोग	प्रीति श्री वेंकटराम, सतनाम कौर, कृतिका दिनेश
फोटो	ऑबरी वेड, भरत पटेल, कांची कोहली, ललित पात्रा, महाबलेश्वर हेगड़े, विनोद पाटगार
डिजाइन	वाणी सुब्रमनियन
हिंदी अनुवाद	निधि अग्रवाल
सहयोग	इस कार्य के लिए वित्तीय सहयोग इंटरनेशनल डेवलपमेन्ट रिसर्च सेन्टर, ओटावा, कैनेडा से प्राप्त हुआ।

आप इस सामग्री को आगे बांटने, अनुवाद करने या वितरण करने के लिए स्वतंत्र हैं। हमारा अनुरोध है कि नमति का स्रोत के रूप में आभार मानते हुए आपने जो सामग्री पुनः प्रकाशित की है, रिपोर्ट बनाई है या अनुवाद किया है, उसकी एक प्रति/लिंक नमति को ज़रूर भेजें। हमें आपके द्वारा प्रकाशित सामग्री को अन्य कार्यकर्ताओं तक पहुंचाने में खुशी होगी।

सेन्टर फॉर पॉलिसी रिसर्च (सी.पी.आर.)-नमति पर्यावरणीय न्याय कार्यक्रम

सी.पी.आर.–नमति पर्यावरणीय न्याय कार्यक्रम एक ऐसा प्रयास है जिसका उद्देश्य है पर्यावरणीय कानूनों को लागू करने में आने वाली समस्याओं का समाधान करना। यह कार्यक्रम वर्तमान समय में भारत में चल रहा है, जहां पर कानून तो ठोस हैं, लेकिन पर्यावरणीय कानूनों की अनुपालना का रिकार्ड बहुत खराब है। इन कानूनों के उल्लंघनों और गैर–अनुपालन के पर्यावरण, उस पर प्रत्यक्ष रूप से अपनी आजीविकाओं के लिए आधारित लोगों के जीवन, और सभी नागरिकों के स्वास्थ्य पर वास्तविक और गहरे प्रभाव पड़ रहे हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, पर्यावरणीय प्रभावों के समाधान ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें गैर–अनुपालन के मामलों को संबंधित सरकारी एजेंसियों और संस्थानों के ध्यान में लाया जाता है। इसके अलावा, इन मामलों से प्राप्त आंकड़ों को इकट्ठा करके, पर्यावरणीय कानूनों के अनुपालन की स्थिति पर नज़र रखी जाती है। इन आंकड़ों को फिर पर्यावरणीय कानूनों, नीतियों और संस्थानों में सकारात्मक बदलाव करने की दिशा में पैरवी के लिए उपयोग किया जाता है।

कार्यक्रम के उद्देश्य

1. पर्यावरण अनुपालना को बेहतर बनाना
2. प्रभावित समुदायों के लिए प्रभावकारी समाधान
3. अतिसंवेदनशील पारिस्थितिकीय तंत्रों के संरक्षण के लिए मजबूत संस्थागत सहयोग

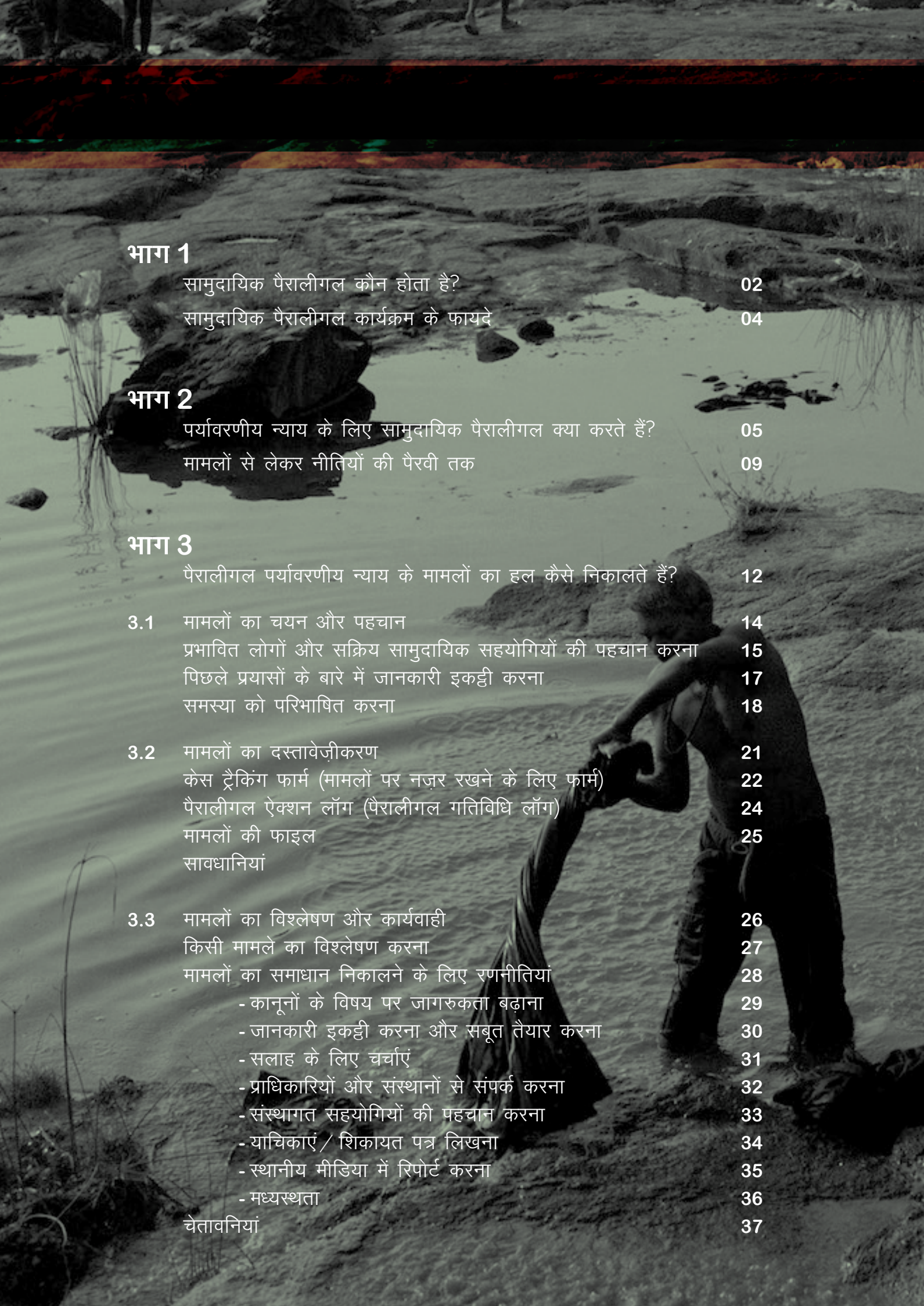

भाग 1

सामुदायिक पैरालीगल कौन होता है? 02
सामुदायिक पैरालीगल कार्यक्रम के फायदे 04

भाग 2

पर्यावरणीय न्याय के लिए सामुदायिक पैरालीगल क्या करते हैं? 05
मामलों से लेकर नीतियों की पैरवी तक 09

भाग 3

पैरालीगल पर्यावरणीय न्याय के मामलों का हल कैसे निकालते हैं? 12

3.1 मामलों का चयन और पहचान 14
प्रभावित लोगों और सक्रिय सामुदायिक सहयोगियों की पहचान करना 15
पिछले प्रयासों के बारे में जानकारी इकट्ठी करना 17
समस्या को परिभाषित करना 18

3.2 मामलों का दस्तावेज़ीकरण 21
केस ट्रैकिंग फार्म (मामलों पर नज़र रखने के लिए फार्म) 22
पैरालीगल ऐक्शन लॉग (पैरालीगल गतिविधि लॉग) 24
मामलों की फाइल 25
सावधानियां

3.3 मामलों का विश्लेषण और कार्यवाही 26
किसी मामले का विश्लेषण करना 27
मामलों का समाधान निकालने के लिए रणनीतियां 28
- कानूनों के विषय पर जागरुकता बढ़ाना 29
- जानकारी इकट्ठी करना और सबूत तैयार करना 30
- सलाह के लिए चर्चाएं 31
- प्राधिकारियों और संस्थानों से संपर्क करना 32
- संस्थागत सहयोगियों की पहचान करना 33
- याचिकाएं / शिकायत पत्र लिखना 34
- स्थानीय मीडिया में रिपोर्ट करना 35
- मध्यस्थता 36
चेतावनियां 37

विषयसूची

3.4 मामलों को रिपोर्ट करना 40
मूल बातें
इतिहास 41
समाधान
तरीके
फायदे

भाग 4

कानूनी सशक्तिकरण के माध्यम से पैरालीगल कार्यक्रम स्थापित करना 42

4.1 पैरालीगलों का चयन 44
- नौकरी की घोषणा 45
- उम्मीदवारों का चुनाव
- परीक्षा और इंटरव्यू

4.2 प्रशिक्षण 46

4.3 पर्यवेक्षण और सहयोग 47
- साप्ताहिक रिपोर्ट
- मासिक बैठकें 48
- अध्ययन सहयोग 50
- सहयोगी व संपर्क बनाना 52

4.4 मूल्यांकन 53

परिशिष्ट

नीति सुझावों के पत्र का नमूना 58
शिकायत पत्र का नमूना 62
पैरालीगल प्रशिक्षण के एजेन्डा का नमूना 64

संक्षिप्त

सी.पी.आर.: सेन्टर फॉर पॉलिसी रिसर्च

सी.आर.ज़ेड.: तटीय विनियमन क्षेत्र (कोस्टल रेगुलेशन ज़ोन)

ई.आई.ए.: पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन

एफ.ए.क्यू.: अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

जी.पी.एस.: ग्लोबल पोज़िशनिंग सिस्टम

एन.डी.ज़ेड.: गैर–विकास क्षेत्र (नो डेवलपमेंट ज़ोन)

एन.जी.ओ.: गैर–सरकारी संस्था

आर.टी.आई.: सूचना का अधिकार

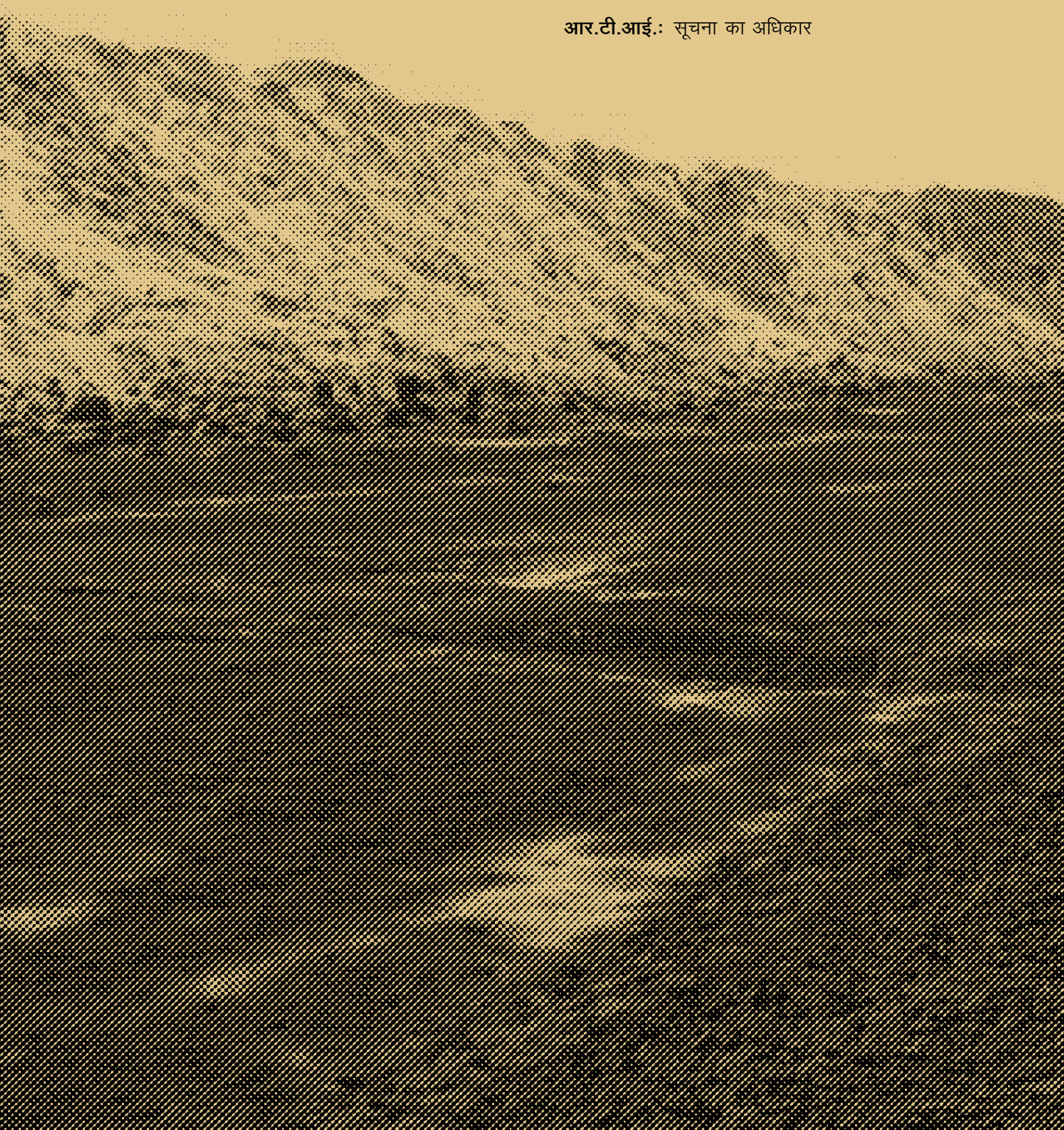

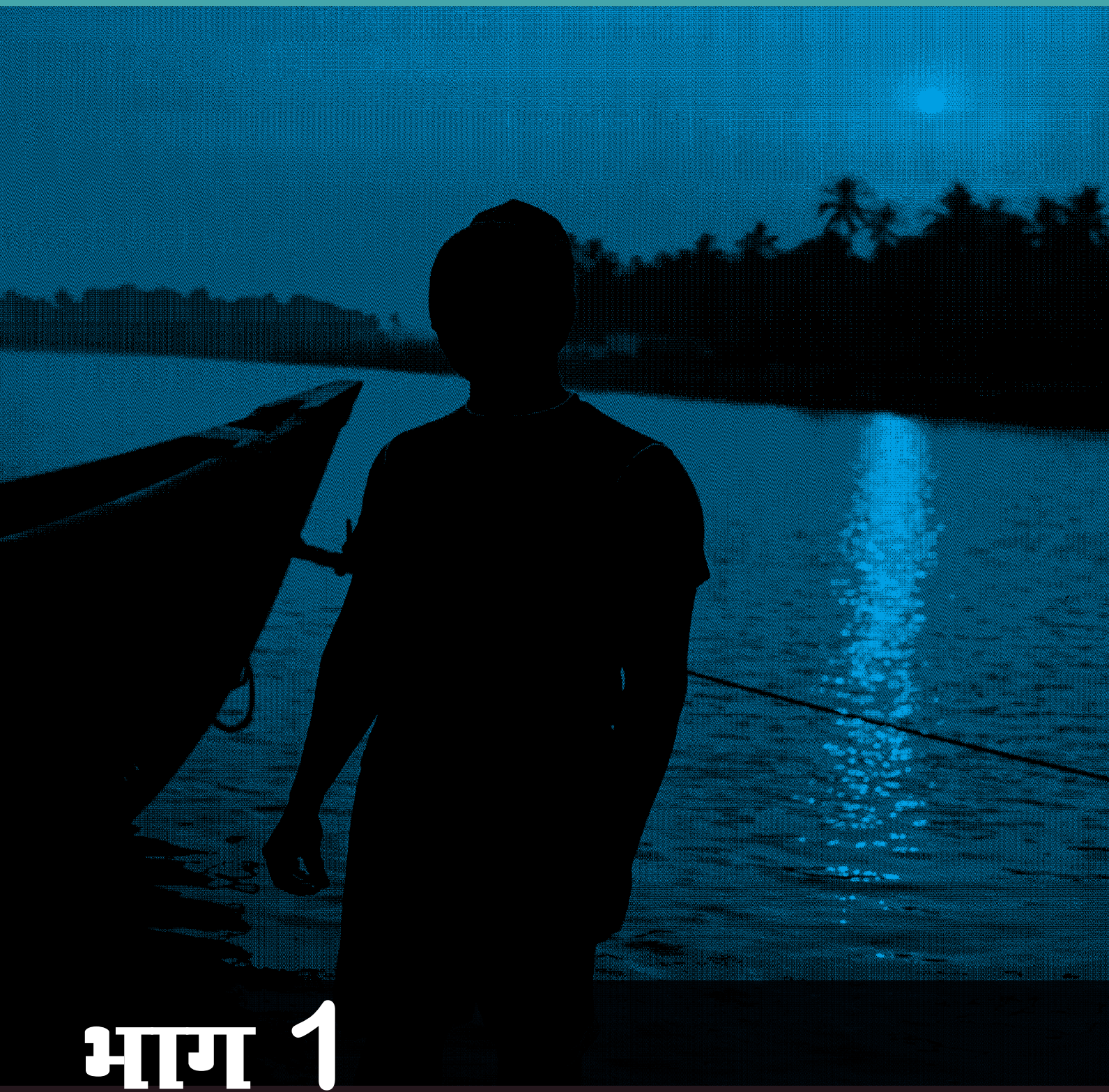

भाग 1

सामुदायिक पैरालीगल कौन होता है?

सामुदायिक पैरालीगल, जिन्हें तृणमूल स्तरीय कानूनी वकील या बेयरफुट लॉयर भी कहा जाता है, समुदाय को संगठित करने वाले संपर्क व्यक्ति होते हैं। इन्हें कानून की मूलभूत जानकारी और कानूनी प्रक्रियाओं पर प्रशिक्षण दिया जाता है और वे मध्यस्थता, समझौता, शिक्षा और पैरवी करने में दक्ष होते हैं।

पैरालीगल अपनी कानून की जानकारी, अपनी दक्षताओं और स्थानीय संदर्भ की समझ के मेल से, प्रभावित समुदायों को कानून का उपयोग करने के लिए सशक्त करते हुए, न्याय संबंधी समस्याओं का समाधान निकालने में मदद करते हैं। वे समुदायों को अन्याय के सबूत इकट्ठा करके, मौजूदा कानून के अंतर्गत अधीकृत, नागरिकों के प्रति जवाबदार संस्थानों में अपील करने में मदद करते हैं। धीमी गति के, दूरस्थ और महंगे कानूनी केस लड़ने के विपरीत, उनका ज़ोर स्थानीय प्रशासनिक समाधानों पर ज़्यादा रहता है। वे प्रभावित समुदायों के लिए न्याय सेवा प्राप्त करने की 'पहली कतार' के रूप में काम करते हैं – न्याय पाने के लिए आसानी से पहुंचने योग्य, किफ़ायती और जल्दी काम करने वाले लोग।

चूंकि इनका ज़ोर सरकारी संस्थानों पर रहता है, पैरालीगल विशाल प्रशासनतंत्र द्वारा रचनात्मक और समयबद्ध तरीकों से नागरिकों की समस्याओं का समाधान करवाने में भी मददगार होते हैं। समाधान प्राप्त करने के लिए प्रभावित लोगों और सरकार में आपसी सहयोग और तालमेल बनाते हुए यह पैरालीगल, शासनतंत्र में जन भागीदारी के पूरे फायदे दिलवाने का काम करते हैं। नियामक और कानूनी संस्थानों को मज़बूत करने पर उनके ज़ोर के कारण न्याय की दिशा में ढांचागत और स्थाई बदलाव भी संभव हो पाते हैं।

पैरालीगल एक समग्र दृष्टिकोण लेते हुए, कई प्रकार की न्याय आवश्यकताओं को संबोधित कर सकते हैं, या फिर किसी विशिष्ट मुद्दे पर ज़ोर देते हुए भी काम कर सकते हैं, जैसे कि घरेलू हिंसा या सरकारी कल्याण योजनाओं तक लोगों की पहुंच बनाने में मदद करना। पैरालीगल सिर्फ उनके उपयोग के लिए नामांकित दफ्तरों में या किसी सेवा–प्रदाता संस्था के दफ्तर से भी काम कर सकते हैं, जैसे कि ऐसी संस्थाएं जिनका काम कानूनी मदद, कृषि सहयोग या सूक्ष्म–वित्त देना है।

सामुदायिक पैरालीगल कार्यक्रम के फायदे

सामुदायिक पैरालीगल प्रशासनिक एजेंसियों और संस्थानों को नागरिक, पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए बने कानूनों को लागू करवाने के काम में जोड़ सकते हैं। समुदाय–आधारित पैरालीगल को शामिल करने वाली न्याय सेवाओं के एक प्रारूप के कुछ फायदे इस प्रकार हैं :

पीड़ित व्यक्ति बदलाव का कारण बनता है

इससे प्रभावित समुदायों में कानूनी जागरुकता आती है और वे अपने जीवन को प्रभावित करने वाले निर्णयों को बदलने के लिए सक्षम बनते हैं।

समुदायों के लिए समाधान

इसके अंतर्गत न केवल व्यक्तिगत, बल्कि समूचे प्रभावित समुदाय के लिए समाधान मिल सकते हैं

समयोचित कानूनी समाधान

इसके अंतर्गत कानूनी समस्याओं का समाधान औपचारिक न्यायलयों के मुकाबले जल्दी मिलता है, और गैर–विरोधी रणनीतियों के उपयोग से रचनात्मक समाधान प्राप्त हो सकते हैं।

किफ़ायती समाधान

पारंपरिक न्याय सेवाओं के मुकाबले यह तरीका ज़्यादा किफ़ायती और पहुंच में हो सकता है।

महत्वपूर्ण कड़ी

यह प्रभावित समुदायों और औपचारिक / अनौपचारिक संस्थानों, तथा अन्य सेवा–प्रदाताओं जैसे कि वकीलों के बीच एक कड़ी के रूप में काम करता है।

सामुदायिक दृष्टिकोण बनाने में मदद

यह समुदायों के कानूनों के प्रति दृष्टिकोण को बनाने / पुनः बनाने और उनके प्रति सार्वजनिक सद्भावना बनाने में मदद कर सकता है।

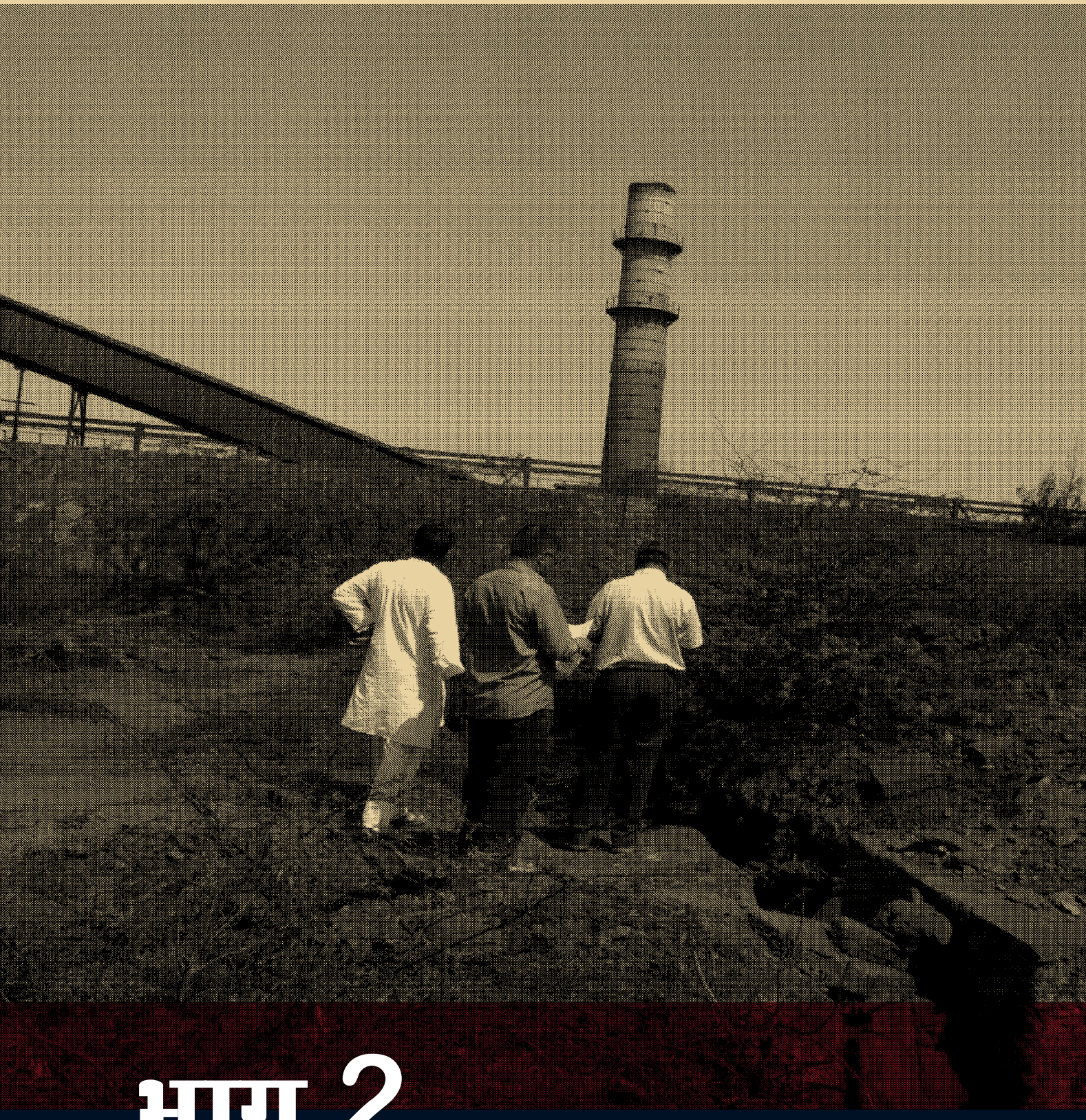

भाग 2

पर्यावरणीय न्याय के लिए सामुदायिक पैरालीगल क्या करते हैं?

पर्यावरणीय न्याय को, पर्यावरणीय कानूनों, नियमों और नीतियों के विकास, क्रियान्वयन और प्रवर्तन में अंतर के बावजूद, सभी लोगों के प्रति न्यायपूर्ण बर्ताव व उनकी सार्थक भागीदारी के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसमें ऐसे अन्य कानून भी शामिल हैं जो पर्यावरण, स्वास्थ्य और आजीविकाओं की परिस्थितियों को प्रभावित करते या कर सकते हैं।

पर्यावरणीय न्याय का तात्पर्य केवल पर्यावरणीय सुरक्षा या संरक्षण से ही नहीं, बल्कि संरक्षण के फायदों और प्रदूषण या अन्य पर्यावरणीय समस्याओं के बोझ के बंटवारे से ज़्यादा है। जब इन फायदों या बोझ का बंटवारा असमान रूप से किया जाता है, तो कुछ लोग बाकी लोगों के मुकाबले ज़्यादा संवेदनशील स्थिति में आ जाते हैं। उनके जीवन का मूल्य कुछ अन्य लोगों के मुकाबले कम हो जाता है और समाज उनका बलिदान करने के लिए तैयार हो जाता है।

सामुदायिक पैरालीगल, जिनका ज़ोर पर्यावरणीय न्याय पर रहता है, वे ऐसे समुदायों का सहयोग करते हैं जिन पर पर्यावरणीय समस्याओं का बोझ है, या जो ऐसे निर्णयों की कीमत चुकाते हैं जिनके कारण पर्यावरणीय प्रभाव होते हैं। वे ऐसे प्रभावित समुदायों को पर्यावरणीय नियम समझने, इस्तेमाल करने और बनाने में मदद करते हैं, जिससे कि उनके जीवन और रोज़गार की स्थितियों में सुधार हो सके, और उनकी आजीविकाएं सुरक्षित रह सकें। औद्योगिक क्षेत्रों में, यह पैरालीगल और जिन समुदायों के साथ ये काम करते हैं, वे मिलकर सरकारों और कंपनियों को कानून, पर्यावरण सुरक्षा और सामाजिक न्याय के प्रति जवाबदार ठहराते हैं। पर्यावरणीय न्याय पैरालीगल समुदायों को कानून जानने, उपयोग करने और बनाने में मदद करते हैं।

जानना उपयोग बनाना कानून

म्यान्मार में पैरालीगल अपने मामले के लिए कानूनों का अध्ययन करते हुए

पैरालीगल, समुदाय के लोग और कानूनी शोधकर्ता गुजरात में एक मामले पर चर्चा करते हुए।

कानून को जानना

पैरालीगल समुदायों को पर्यावरणीय कानूनों और नियामक प्रक्रियाओं का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। इसके पीछे यह सोच है कि जो समुदाय पर्यावरणीय कानूनों और संवैधानिक समाधानों के बारे में जानते हैं, वे स्वच्छ वायु, जल, भोजन, काम और जीवन के अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं। वे उन परियोजनाओं में सरकार द्वारा स्थापित निर्णय–प्रक्रिया में भी भाग ले सकेंगे, जिनमें भूमि उपयोग परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया जाता है। अपने अधिकारों को प्राप्त करने के अलावा, वे सरकारों और अन्य संबंधित पार्टियों, जैसे कि कंपनियों को पर्यावरण सुरक्षा और सामाजिक न्याय की उनकी ज़िम्मेदारियों और प्रतिबद्धताओं के प्रति जवाबदार ठहराने के रचनात्मक तरीके भी ढूंढ सकते हैं।

कानून का उपयोग

समुदाय के सदस्यों या परिवारों (जिन्हें सामुदायिक सहयोगी या क्लाईट के नाम से संबोधित किया जाता है) से वनों, खेतों, पानी के स्रोतों या मछली पकड़ने के क्षेत्रों पर हो रहे प्रभावों के बारे में शिकायत प्राप्त होने के बाद पैरालीगल जांच करते हैं कि इनका जुड़ाव पर्यावरणीय या अन्य संबंधित कानूनों के उल्लंघन या गैर–अनुपालन के कारण है कि नहीं। इसके बारे में उन संबंधित सरकारी एजेंसियों और संस्थानों को सूचित किया जाता है, जिनकी पर्यावरण सुरक्षा की ज़िम्मेदारी है या फिर जिनका प्रशासनिक कार्यक्षेत्र, सामाजिक कल्याण और न्याय से संबंधित है। प्रवर्तन के लिए कानूनी प्रक्रियाओं को सक्रिय करके और प्रभावकारी समाधानों की मांग के साथ, वे न केवल स्थानीय समुदायों और सरकारों को एक–दूसरे के पास लाने का काम करते हैं, बल्कि वे उन कानूनों को भी जीवन देने का काम करते हैं जिनसे पर्यावरण, प्रभावित समुदायों और उनकी आजीविकाओं की सुरक्षा करने में मदद मिलती है।

कानून बनाना

पैरालीगल और प्रभावित समुदायों द्वारा जिन मामलों पर काम किया जाता है, उन पर नज़र रखी जाती है और उनका ध्यानपूर्वक विश्लेषण किया जाता है। मामलों से प्राप्त आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं और इन सबूतों के आधार पर कानूनों, नीतियों, प्रक्रियाओं व संस्थागत ढांचों में संशोधनों की मांग की जाती है। जिन स्थितियों में किसी विशिष्ट गतिविधि के कारण होने वाले प्रभावों के समाधान के लिए कोई कानून मौजूद नहीं होता, वहां संबंधित मामलों से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करते हुए नए कानून और दिशानिर्देश बनाने के लिए सुझाव या संस्तुतियां दी जाती हैं। इस उद्देश्य में, पैरालीगल शोधकर्ता की भूमिका निभाते हैं, जिसमें वे प्रभावित समुदायों के सामने खड़ी चुनौतियों के समाधान के लिए प्रशासनिक या पर्यावरणीय कानूनों के विकास के लिए आंकड़े इकट्ठे करते हैं।

मामलों से प्राप्त जानकारी का कानूनों और संस्थागत प्रक्रियाओं में ढांचागत संशोधन करने के लिए सबूत–आधारित प्रस्ताव बनाने में उपयोग किया जाता है। पैरालीगल को मामलों पर काम करने, उनके अनुभवों के दस्तावेज़ीकरण, और कानूनी अध्ययन सहयोग व अन्य मदद देने के लिए सहयोग टीम रखी जाती है जो मामलों के आंकड़ों का रिकार्ड रखती है और नियमित रूप से रिपोर्ट व प्रतिपुष्टि देती है। सामुदायिक सहभागी, पैरालीगल और सहयोग टीमें मिलकर, अपने अनुभवों और इकट्ठे किए गए आंकड़ों के आधार पर नीतियों के मसौदे तैयार करती हैं और वे बेहतर नीतियों/कार्यान्वयन के तरीकों के लिए पैरवी करते हैं।

ಚಿಪ್ಪೆಕಲ್ಲು ಆರಿಸುವವರನ್ನೂ ಮೀನುಗಾರರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ

आघानाशिनी सीपी संग्रहकर्ता समूह के सदस्यों द्वारा कारवार, कर्नाटक के ज़िला कलेक्टर को मछलीपालन संबंधी सरकारी स्कीमों में उन्हें शामिल करने हेतु मेमोरेन्डम देने संबंधी समाचारपत्र की एक खबर।

ओखा, गुजरात में बॉक्साईट खुले में पड़े होने के कारण वायु प्रदूषण

मामलों से लेकर नीतियों की पैरवी तक

गुजरात में खनिज प्रबंधन दिशानिर्देश

पश्चिमी भारत के राज्य गुजरात के समुद्री तटों पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कई बंदरगाहों को मंजूरी दी है, जहां पर विभिन्न प्रकार के खनिजों को रखा जाता है जैसे कि कोयला, बॉक्साईट और चूना। इन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले समुदाय शिकायत करते आए हैं कि इन खनिजों को रखने के कारण उड़ने वाली धूल उनके जीने की स्थितियों, स्वास्थ्य और खेतों पर प्रभाव डालती है। जब एक सामुदायिक पैरालीगल ने प्रभावित समुदायों के साथ यह समझने के लिए काम किया कि क्या खनिज प्रबंधन बंदरगाहों के मंजूरी पत्रों में कोई ऐसी शर्तें हैं जिनका उल्लंघन हो रहा है, तो उन्हें पता चला कि मंजूरी पत्र में केवल कोयला प्रबंधन के बारे में सुरक्षा की बात की गई थी। बाकी किसी भी खनिज, जो यहां पर रखे जा रहे थे या वहन किए जा रहे थे, उनसे होने वाले वायु प्रदूषण को रोकने के बारे में इन सुरक्षा प्रावधानों में कोई ज़िक्र नहीं था। ऐसे कम–से–कम 10 बंदरगाह थे जिनकी पहचान पैरालीगलों और उनके क्लाईटों ने की। हालांकि कोयले के प्रबंधन के बारे में राज्य के दिशानिर्देश मौजूद हैं, लेकिन नीतिगत स्तर पर बाकी खनिजों को छोड़ दिया गया, और साथ ही परियोजना स्तरीय मंजूरियों के स्तर पर भी। पैरालीगलों और सामुदायिक सदस्यों द्वारा इकट्ठे किए गए इन सबूतों के आधार पर, राज्य सरकार को एक विनती पेश की गई कि वह सभी बंदरगाहों को जारी किए गए मंजूरी पत्रों की समीक्षा करे और इस कमी को संबोधित करे। इसके साथ ही, राज्य सरकार को एक अलग पत्र भेजा गया जिसमें उससे राज्य भर में विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं, जैसे कि बंदरगाहों, उद्योगों और विद्युत संयंत्रों, के अंतर्गत खनिजों के भंडारण, प्रबंधन और यातायात के लिए खनिज प्रबंधन दिशानिर्देश निर्दिष्ट किए जाने की मांग की गई। इन दोनों ही आवेदनों में मामलों के आधार पर इकट्ठे किए गए सबूतों का उपयोग किया गया और ऐसे कानूनी प्रावधानों का संदर्भ दिया गया जो सरकार को नई नीतियां जारी करने की शक्तियां देते हैं। इनमें शामिल कुछ विशिष्ट संस्तुतियों के लिए वैज्ञानिक लेखों के अध्ययन से भी मदद ली गई थी। *राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को लिखे पत्र के लिए परिशिष्ट 1 देखें।*

उत्तर कन्नड़ा, कर्नाटक में पैरालीगलों ने पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनलशील और आर्थिक रूप से उत्पादक क्षेत्र पर निर्भर समुदायों को उस क्षेत्र में आने वाली एक बंदरगाह परियोजना को मिली सरकारी मंजूरी के संदर्भ में कानूनी उल्लंघनों को समझने में मदद की।

वापी, गुजरात में पैरालीगल कैमिकल उद्योगों के कारण होने वाले भीषण प्रदूषण से लड़ने के लिए राज्य द्वारा स्वीकृत ऐक्शन प्लान को लागू करवाने और अन्य समाधानों के लिए प्रभावित स्थानीय समुदायों के साथ काम कर रहे हैं।

भाग 3

पैरालीगल पर्यावरणीय न्याय के मामलों का हल कैसे निकालते हैं?

पर्यावरणीय न्याय की किसी समस्या से प्रभावित लोग इन मामलों को लेकर पैरालीगल के पास आते हैं। पैरालीगल अपनी कानूनी जानकारी और संस्थानों के बारे में जानकारी का उपयोग करके उन्हें समाधान ढूंढने में मदद करते हैं। पैरालीगल प्रभावित लोगों को ऐसे संस्थानों से भी बात करने की सलाह देते हैं जिनके पास संबद्ध सबूत और रचनात्मक और कानूनी तौर पर मान्य समाधान हो सकते हैं।

मामलों को सुलझाने में चार महत्वपूर्ण काम करने होते हैं। इन्हें, मामले के दस्तावेज़ीकरण, जो कि पूरी प्रक्रिया के दौरान चालू रहती है, के अलावा, एक प्रक्रिया के कदमों के रूप में भी देखा जा सकता है।

मामला

1. चयन और पहचान
2. दस्तावेज़ीकरण
3. विश्लेषण और काम
4. रिपोर्ट और निगरानी

3.1 मामलों का चयन और पहचान

प्रभावित लोग मामला लेकर पैरालीगल के पास आते हैं। कुछ परिस्थितियों में, जहां पैरालीगल क्षेत्र से परिचित होते हैं, वहां वे खुद भी मामलों का चयन करते हैं।

किस मामले पर काम को प्राथमिकता देनी है, यह निर्णय यह समझ कर ही किया जाता है कि हर मामला किस बारे में है। पर्यावरणीय न्याय के मामले विशिष्ट रूप से जटिल होते हैं, जिनमें प्रभाव के कई कारण और स्रोत हो सकते हैं, जिनका प्रभाव क्षेत्र काफी फैला हुआ या जिनसे बड़ी संख्या में प्रभावित लोग हो सकते हैं, और इनके समय-समय पर अलग-अलग समुदायों पर अलग-अलग प्रभाव होते रहते हैं। इन्हें समझना या इन पर काम करना तब तक आसान नहीं होता, जब तक कि पैरालीगल ने विस्तृत व संपूर्ण तरीके से जानकारी इकट्ठी न कर ली हो जिससे कि मामले की पहचान ठीक से की जा सके। किसी भी मामले की पहचान करने में कम-से-कम तीन कदम शामिल होते हैं।

1. प्रभावित लोगों की पहचान करना और यह भी जानना कि उन पर किस–किस प्रकार के विविध प्रभाव हो रहे हैं
2. प्रभावित लोगों द्वारा इन प्रभावों का समाधान पाने के लिए किए गए पिछले प्रयासों के बारे में जानकारी इकट्ठी करना
3. कानूनी प्रावधान और आरोपण या समस्या के स्रोत/कारण की पहचान करते हुए समस्या को परिभाषित करना

प्रभावित लोगों और सक्रिय सामुदायिक सहयोगियों की पहचान करना

समस्या को जानना

अक्सर पैरालीगल के पास मामले को लेकर कुछ प्रभावित लोगों का समूह या कोई व्यक्ति आता है। उनके द्वारा दिए गए समस्या के विवरण के आधार पर, पैरालीगल उनसे और जानकारी के लिए सवाल करते हैं, जिससे कि वे समस्या के आधारभूत मुद्दों और कारणों को समझ पाए। पैरालीगल अधिकारिक दस्तावेज़ों, समाचार में आई खबरों और समस्या से जुड़ी अन्य सामग्री को पढ़ते हैं।

प्रभावित लोगों की पहचान करना

पैरालीगल समस्या जहां हो रही है, उस क्षेत्र में जाकर समझते हैं कि समस्या के कारण कौन–कौन से विभिन्न समुदाय प्रभावित हो रहे हैं। इसके लिए, पैरालीगल क्षेत्र के लोगों के अलग–अलग समूहों से बात करते हैं जैसे कि औरतें, युवा, अलग–अलग जाति, देशी या आदिवासी समूहों के सदस्यों और विभिन्न प्रकार की आजीविका समूहों जैसे मछुआरे, किसान और वनों में रहने वालों से। इससे पैरालीगल को विभिन्न दृष्टिकोणों से समस्या को समझने में मदद मिलती है।

प्रभावों का अनुमान

पैरालीगल अनुमान लगाते हैं कि प्रभावित लोगों की कुल संख्या क्या होगी या समस्या का हल हो जाने से कितने लोगों को फायदा होगा। इस संख्या का अनुमान लगाना जटिल काम होता है। उदाहरण के लिए, नदी के प्रदूषण के कारण, स्रोत से निचले बहाव के क्षेत्र में संभवतः समूची जनसंख्या ही प्रभावित होगी। ऐसे में इस संख्या का एक अनुमान लगाना मददगार रहता है। यह खासकर तब ज़रूरी हो जाता है जब समाधान व्यक्तिगत या पारिवारिक स्तर पर निकाले जाते हैं, जैसे कि प्रदूषण प्रभावों के लिए मुआवज़ा। कुछ मामलों में, इन संख्याओं में फ़र्क भी किया जा सकता है, जैसे कि प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित, जो पहले से प्रभावित हैं, संभावित प्रभावित और जो प्रभावित हो सकते हैं।

सक्रिय क्लाईंट/सामुदायिक सहभागियों को एकजुट करना

पैरालीगल सभी प्रभावित पार्टियों से बात करके पहचान करते हैं कि उनमें से कौन लोग हैं जो पैरालीगल के साथ सक्रियता से मामले का समाधान निकालने के लिए काम कर सकते हैं। इस समूह को सामुदायिक सहभागी या क्लाईंट समूह कहा जाता है। सबसे अच्छा रहता है कि ऐसे सहभागी या समूह की पहचान की जाए जो समस्या से प्रभावित लोगों की विविधता का प्रतिनिधित्व करता/करते हों, खासकर औरतें, जाति/समुदाय के समूह और आजीविका समूह।

कुम्टा में कचरे की डंपिंग

कुम्टा में कचरे की डंपिंग

प्रभावित लोगों और सामुदायिक सहभागियों की पहचान करना

भारत के उत्तर कन्नड़ा के कुम्टा शहर की नगरपालिका मुरूर पहाड़ी पर नगरपालिका से एकत्रित कचरे को डंप करती आई है। इस पहाड़ी के नज़दीक तीन गांव बसे हुए हैं और इनमें लगभग 50 परिवार डंप की गंध में जीते हैं। डंप का कचरा उनके हवा और उनके गांव के पास से बहने वाली नदी के साथ मिलकर उनके गांव में पहुंचता है। अगर इस समस्या को रोका नहीं गया, तो कचरे का भार बढ़ता जाएगा और अन्य गांवों के लगभग 200 परिवार इससे प्रभावित होने लगेंगे। बारिश के मौसम में इस कचरे के ढेर से होता हुआ पानी नीचे बने सभी कुंओं में जाता है। इस ढेर के सबसे नज़दीक रहने वाले 30 लोगों ने, पैरालीगल के साथ मिलकर कोशिश की कि नगरपालिका इस पहाड़ी पर कचरा फेंकना बंद कर दे और उन्होंने इस क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में कचरे के फेंके जाने पर दीर्घकालीन समाधान ढूंढने की भी कोशिश की। इस मामले में **सामुदायिक सहभागी** 30 प्रभावित लोगों का समूह है, जिन्होंने पैरालीगल के साथ मिलकर नगरपालिका द्वारा कचरा फेंकने पर रोक लगाने के लिए काम किया। **प्रभावित लोगों** में वे 50 परिवार हैं जो इस पहाड़ी के सबसे नज़दीक रहते हैं और अन्य गांवों के 200 परिवार वे हैं जो भविष्य में प्रभावित हो सकते हैं, यदि समस्या को रोक कर उसका समाधान नहीं किया गया।

पिछले प्रयासों के बारे में जानकारी इकट्ठी करना

पैरालीगलों के सामने जो ज़्यादातर समस्याएं आती हैं वो कई सालों से चले आ रहे मुद्दे होते हैं। इन पिछले सालों में, संभव है कि प्रभावित समुदायों ने अपनी समस्याओं का हल ढूंढने के लिए कई प्रयास किए हों। इन प्रयासों में अक्सर क्षेत्र के प्रशासनिक प्रमुख के पास मौखिक रूप से शिकायत करना, स्थानीय राजनीतिज्ञों से मदद लेना, जिस कंपनी या उद्योग के कारण समस्या पैदा हो रही है उसके पास शिकायत करना या फिर कुछ ज़्यादा ही खतरनाक मामलों में पुलिस के पास जाना तक शामिल हो सकता है। कुछ क्षेत्रों में, जहां स्थानीय लोग संगठित होते हैं वहां वे सामूहिक प्रयास भी करते हैं, हो सकता है उन्हें कानूनी केस लड़ने या उच्च स्तरीय पैरवी करने के लिए किसी संस्था या वकील से सहयोग भी मिल रहा हो। यहां कहने की ज़रूरत नहीं है कि पैरालीगल को ऐसे मामलों को प्राथमिकता देनी चाहिए जहां पहले किए गए प्रयासों से समस्या का समाधान न निकल पाया हो, न कि ऐसे मामलों को जहां इन पिछले प्रयासों के कारण समाधान होने ही वाला हो।

पैरालीगल के लिए प्रभावित लोगों के पिछले प्रयासों के दौरान तैयार किए गए दस्तावेज़ों को देखना बेहद ज़रूरी है, जिससे कि वे यह समझ सकें कि मुख्य शिकायत क्या है, पहले से क्या सबूत इकट्ठे किए गए हैं, किन संस्थानों के पास जा चुके हैं, क्या रणनीतियां उपयोग हो चुकी हैं और उनके क्या परिणाम रहे। इस जानकारी से पैरालीगल को समाधान तक पहुंचने का रास्ता तय करने में मदद मिलती है। इससे यह समझने में भी मदद मिलती है कि पहले क्या–क्या रणनीतियां काम में आईं और कौन सी रणनीतियां हैं जो संभवतः वर्तमान संदर्भ में समाधान प्राप्त करने में मददगार नहीं होंगी। इससे पहले किए गए काम को न दोहराकर संसाधनों की बचत की जा सकती है। पैरालीगल पहले से हो चुके काम का फायदा ले सकते हैं और पहले से एकत्रित जानकारी और दस्तावेज़ों का प्रभावी उपयोग कर सकते हैं।

पैरालीगल यह सारी जानकारी साइट विज़िट के माध्यम से और इन पिछले प्रयासों में शामिल विभिन्न लोगों से बात करके इकट्ठी कर सकते हैं।

पैरालीगल वापी, गुजरात में प्रभावित समुदाय के एक नेतृत्वकर्ता से बात करते हुए

समस्या को परिभाषित करना

समस्या की परिभाषा में एक या दो वाक्यों में मामले के कारण का विवरण देना होता है। पैरालीगल समस्या की परिभाषा लिखते हैं, जिसमें संक्षिप्त रूप से प्रभावित समुदायों द्वारा झेले जा रहे प्रभावों का विवरण होता है। पैरालीगल के पास उपलब्ध कानूनी जानकारी की मदद से, वे इन प्रभावों और एक या उससे अधिक पर्यावरणीय कानूनों के उल्लंघन या गैर–अनुपालन के बीच रिश्ता स्थापित कर पाते हैं। इससे यह भी स्थापित हो जाता है कि कानून का उल्लंघन कौन कर रहा है, जिसके कारण प्रभाव हो रहे हैं।

समस्या की यह परिभाषा, जिसमें प्रभाव का स्पष्ट विवरण हो, और उसके पीछे अनुपालन न करने वाले की जानकारी जिसपर प्रशासनिक कार्यवाही की जा सके, मामले को आगे बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह परिभाषा पैरालीगल और सामुदायिक सहभागियों को समस्या साबित करने के लिए ज़रूरी सबूत इकट्ठे करने, सबसे उचित संस्थान के पास जाने और उनसे सबसे सर्वोत्तम समाधान मांगने के लिए दिशा देती है।

पैरालीगल कार्यक्रम टीम के सदस्य म्यान्मार में समस्या की परिभाषा बनाने पर काम करते हुए

गुजरात में समुद्री तट पर गैर विकास क्षेत्र

समस्या को परिभाषित करना

तटीय विनियमन क्षेत्र (सी.आर.ज़ेड) में खतरनाक कैमिकलों का भंडारण

कच्छ में एक पर्यावरणीय न्याय पैरालीगल ने एक मामले पर काम किया जिसकी समस्या की परिभाषा थी – ''सी.आर.ज़ेड– एन.डी.ज़ेड क्षेत्र में आने वाले एक कंपनी के कैमिकल भंडारण संयंत्र से मीठा बंदरगाह के निवासियों के जीवन और स्वास्थ्य को खतरा पैदा हो सकता है''। समस्या की यह परिभाषा परियोजना किस प्रकार की है, उसका गैर–कानूनी स्थल और उसके संभावित प्रभाव के बारे में स्पष्ट रूप से बताती है। तटीय विनियमन क्षेत्र (सी.आर.ज़ेड) भारतीय तटीय क्षेत्रों में निर्धारित ऐसा क्षेत्र है, जहां पर विकास को नियमित किया गया है। गैर–विकास क्षेत्र (एन.डी.ज़ेड) सी.आर.ज़ेड के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र है जहां किसी भी प्रकार के विकास कार्य निषेध हैं। यह परिभाषा बताती है कि परियोजना कानूनी रूप से निषिद्ध क्षेत्र में स्थित है और उस समुदाय के बारे में भी बताती है, जो इस परियोजना से सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा।

पैरालीगल अपने प्रयासों की सफलता के लिए पांच पहलुओं के आधार पर मामलों का चयन कर सकते हैं, जिन पर वे प्राथमिकता से काम करेंगे

सामुदायिक सहभागी या क्लाइन्ट

मामले में सामुदायिक सहभागी या क्लाइन्ट मौजूद हैं। यह आम तौर पर उन लोगों का समूह होता है जो एक ही समस्या के कारण प्रभावित होते हैं। यह समूह पैरालीगल के साथ मिलकर समस्या का समाधान ढूंढने के लिए प्रतिबद्ध होता है।

इतिहास

प्राथमिक रूप से ऐसे मामले चुने जाते हैं जहां प्रभावित समुदायों ने खुद किसी प्रकार के समाधान के लिए प्रयास किए हों। यह गैर–सरकारी संस्था के माध्यम से, न्यायालयों या अन्य तरीकों से किए गए प्रयास हो सकते हैं। आपातकालीन स्थितियों, आपदाओं या बेहद जटिल और असाधारणा मामलों में इस पहलू को नजरंदाज़ किया जा सकता है।

प्रभाव

जिन मामलों में बहुत बड़ी संख्या में लोगों पर प्रभाव होने वाले हैं या जहां पर बड़ी संख्या में लोगों को फायदा मिल सकता है, उन्हें प्राथमिकता दी जाती है।

स्थल

जो मामला चुना गया है, वह पैरालीगल के क्षेत्र या उसके आसपास है, जिससे कि वे प्रभावित समुदायों से लगातार संपर्क बना कर रख सकें और नियिमित रूप से स्थल पर जा सकें और बैठकें आयोजित कर सकें।

कानूनी समस्या

जिन मामलों में स्पष्ट नज़र आए (जैसे कि किसी कानून, प्रशासनिक प्रथा या न्यायिक आदेश का उल्लंघन या गैर–अनुपालन) कि कानून के इस्तेमाल से प्रभाव का समाधान हो जाएगा उन्हें ऐसे मामलों के मुकाबले प्राथमिकता दी जाती है जहां पर कोई स्पष्ट कानूनी कार्यवाही दिखाई न दे रही हो। लेकिन कुछ स्थितियों में, जहां मामलों में कोई स्पष्ट कानूनी कार्यवाही दिखाई न दे रही हो, उन्हें भी प्राथमिकता दी जा सकती है यदि इन मामलों में इकट्ठे किए गए सबूतों के आधार पर किसी नए कानून/कानूनी प्रावधान के लिए पैरवी करने का उद्देश्य हो।

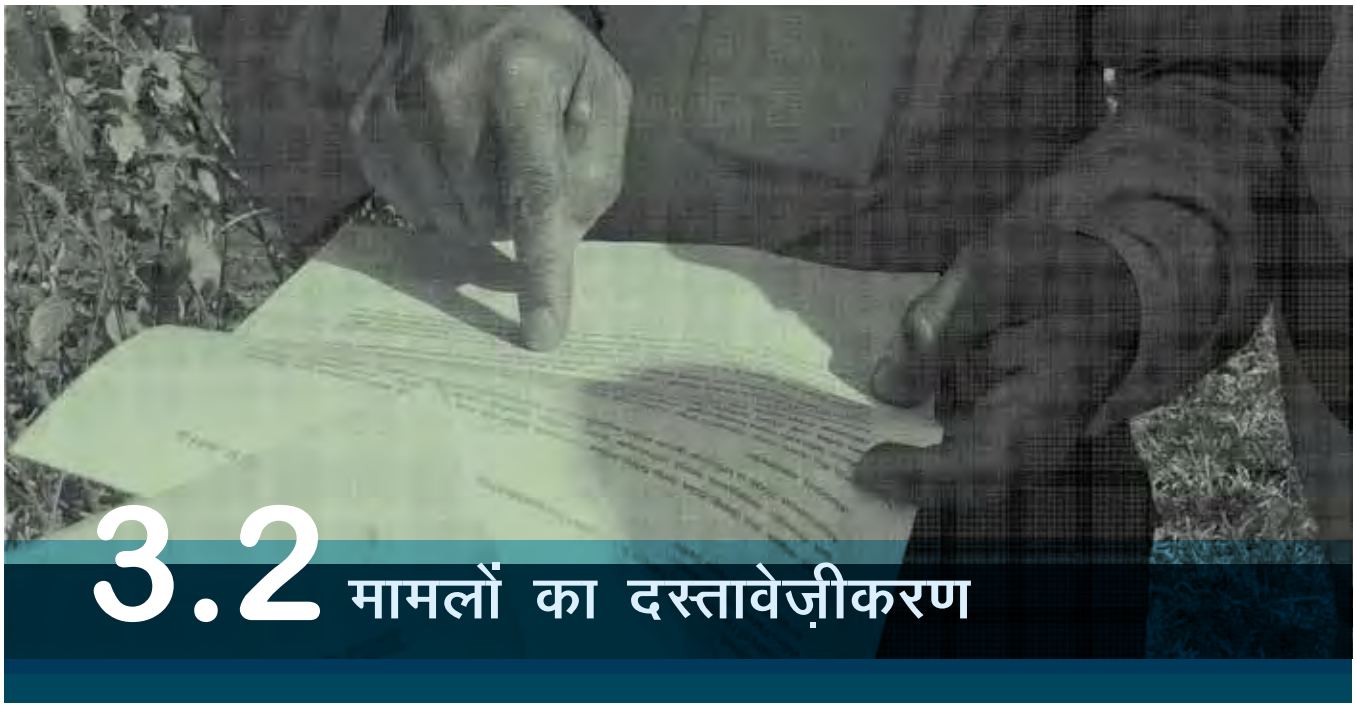

3.2 मामलों का दस्तावेज़ीकरण

पैरलीगल के काम में हर मामले का दस्तावेज़ीकरण एक बेहद महत्वपूर्ण पहलू है। हर मामले का एक केस ट्रैकिंग फार्म होता है, जिसमें पैरालीगल हर मामले और कार्यवाही का दस्तावेज़ीकरण करते हैं। केस ट्रैकिंग फार्म के अंतिम भाग में दिए गए ऐक्शन लॉग में की गई कार्यवाही और उसके पीछे के तर्क को विस्तार से लिखा जाता है। केस ट्रैकिंग फार्म और ऐक्शन लॉग में मामले का समाधान निकालने के लिए उठाए गए हर कदम के बाद जानकारी भरी जाती है। कार्यवाही के परिणामों को भी इसमें दर्ज किया जाता है।

आदर्श के तौर पर, कोई कदम लेने के बाद एक दिन के अंदर उसे केस फार्म और ऐक्शन लॉग में दर्ज कर दिया जाना चाहिए। मामले के चयन से लेकर उसके पूरा हो जाने तक दस्तावेज़ीकरण किया जाना चाहिए। उनके काम में इसके महत्व को देखते हुए, पैरालीगल को अपने काम की समयसारिणी में इस के लिए पर्याप्त समय रखना चाहिए।

केस ट्रैकिंग फार्म (मामलों पर नज़र रखने के लिए फार्म)

केस ट्रैकिंग फार्म प्रभावित समूहों के बारे में जानकारी, समस्या, सामुदायिक सहभागी या क्लाइन्ट समूह के विवरण, मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई है उसकी जानकारी या पैरालीगल और सामुदायिक सहभागियों या क्लाइन्ट द्वारा समाधान के लिए की गई गतिविधियों को रिकार्ड करने में मदद करता है। इसमें यह भी रिकार्ड रहता है कि संबंधित एजेंसी ने क्या जवाब दिया और आगे जाने के लिए क्या योजना है।

केस ट्रैकिंग फार्म निम्नलिखित तरीकों से काम आता है

1. अगर उसे निर्धारित तरीके से भरा जाए, तो केस ट्रैकिंग फार्म मामले के चयन और उसके समाधान का कदम–दर–कदम ब्यौरा देता है।

2. यह पैरालीगल को मामले के समाधान के लिए क्या दिशा लेनी चाहिए/कार्यवाही करनी चाहिए, इसके शुरुआती विकल्प देता है।

3. मामले को बंद करते समय, केस ट्रैकिंग फार्म पैरालीगल को अपनी कार्यवाही और प्राप्त किए गए समाधानों पर पुनर्विचार करने में मदद करता है।

4. केस ट्रैकिंग फार्म पैरालीगल द्वारा मामलों पर की जा रही कार्यवाही के मूल्यांकन का आधार है और इसमें मदद करता है कि मामलों को और बेहतर तरीकों से कैसे सुलझाया जा सकता है।

5. इसमें मामले से जुड़ी जानकारियों का खज़ाना होता है जिससे कानून बनाने, उनके कार्यान्वयन, उनके परिणामों के साथ–साथ समुदायों पर उनके प्रभावों और उनकी समस्याओं के समाधानों के लिए विभिन्न प्रकार के नीति संदेश तैयार करने के लिए सबूत इकट्ठे करने में मदद मिलती है।

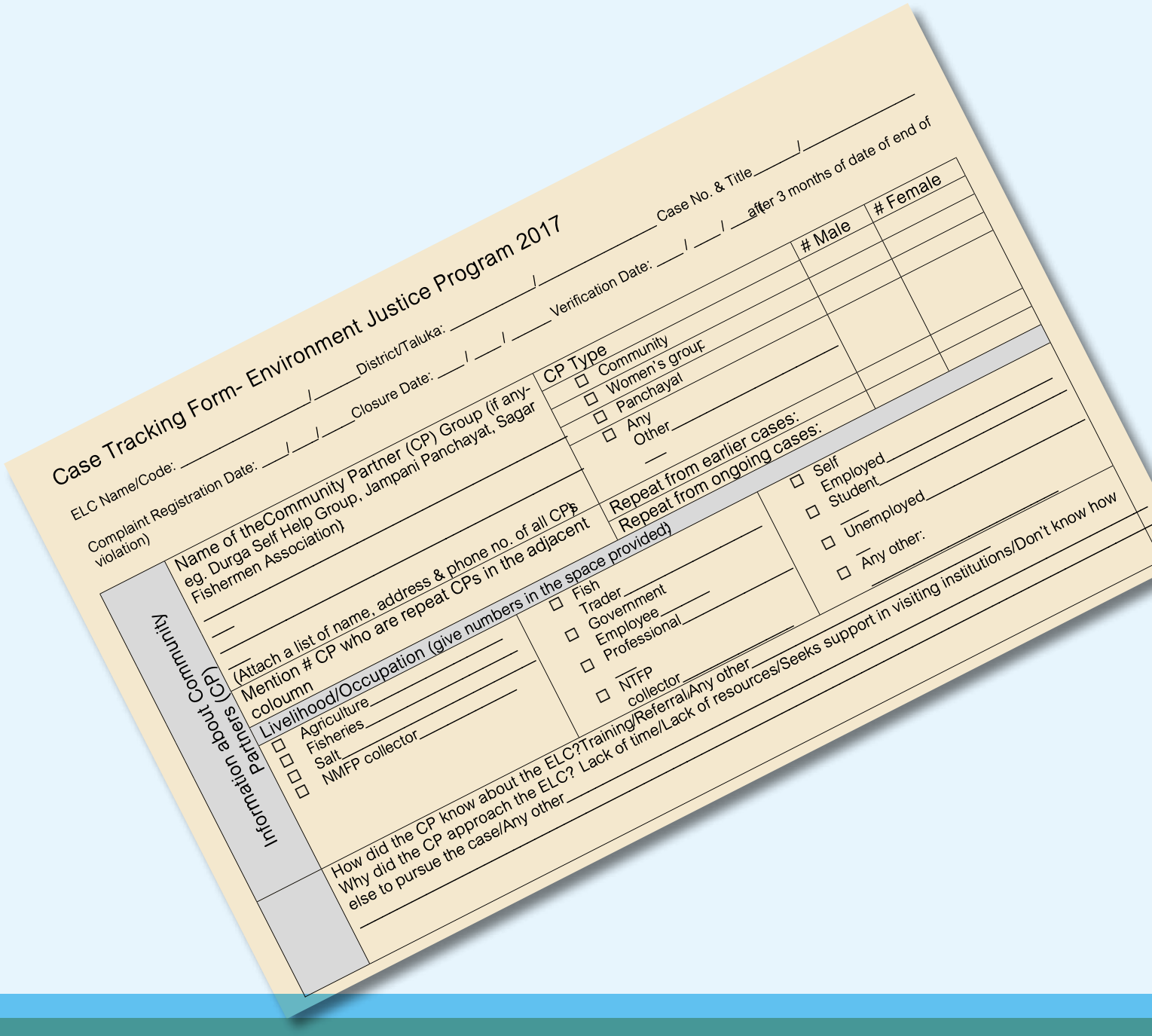
Case Tracking Form- Environment Justice Program 2017

ELC Name/Code: _____/_____District/Taluka: _____/_____ Case No. & Title_____/_____

Complaint Registration Date: ___/___/___Closure Date: ___/___/____ Verification Date: ___/___/___after 3 months of date of end of violation)

Information about Community Partners (CP)

Name of theCommunity Partner (CP) Group (if any- eg. Durga Self Help Group, Jampani Panchayat, Sagar Fishermen Association)

(Attach a list of name, address & phone no. of all CPs

Mention # CP who are repeat CPs in the adjacent coloumn

Livelihood/Occupation (give numbers in the space provided)

- ☐ Agriculture
- ☐ Fisheries
- ☐ Salt
- ☐ NMFP collector
- ☐ Fish Trader
- ☐ Government Employee
- ☐ Professional
- ☐ NTFP collector
- ☐ Self Employed
- ☐ Student
- ☐ Unemployed
- ☐ Any other:

CP Type

- ☐ Community
- ☐ Women's group
- ☐ Panchayat
- ☐ Any Other

	# Male	# Female
Repeat from earlier cases:		
Repeat from ongoing cases:		

How did the CP know about the ELC?Training/Referral/Any other

Why did the CP approach the ELC? Lack of time/Lack of resources/Seeks support in visiting institutions/Don't know how else to pursue the case/Any other

केस ट्रैकिंग फार्म एक ऐसा दस्तावेज़ है जिसमें मामले के चयन से लेकर उसके समाधान तक की सभी संबंधित जानकारी होती है। https://namati.org/resources/case-form-environmental-justice-india/ से पूरे भरे हुए एक केस ट्रैकिंग फार्म को डाउनलोड किया जा सकता है।

इस फार्मेट को आपके काम के संदर्भ और मामलों की विशिष्टता के अनुसार संशोधित किया जा सकता है।

पैरालीगल ऐक्शन लॉग (पैरालीगल गतिविधि लॉग)

पैरालीगल किसी मामले में कुछ भी करने के बाद इस ऐक्शन लॉग को भरते हैं। सबसे अच्छा रहता है जब ऐक्शन लॉग को जितनी हो सके उतनी विस्तृत जानकारी के साथ और समयनुसार (तिथि–वार) भरा जाए। जिन कार्यवाहियों को रिकार्ड करना है, उनमें शामिल है दस्तावेज़ इकट्ठे करना, किसी अधिकारी या कमिटि से मुलाकात या सूचना के अधिकार के अंतर्गत दर्ज की गई अर्जी। (सरकारी जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न देशों मे कानून उपलब्ध हैं और उनके अलग–अलग शीर्षक और दायरे हो सकते हैं। भारत में सूचना प्राप्त करने के कानून को सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के नाम से जाना जाता है।) कार्यवाही के रिकार्ड के साथ–साथ, अधिकारिक बैठकों का वृत्तांत, आर.टी.आई आवेदनपत्र और उनके प्राप्त हुए जवाब भी ऐक्शन लॉग के साथ संलग्न किए जा सकते हैं। इससे सुनिश्चित होता है कि की गई कार्यवाही के सभी सबूत एक ही जगह पर उपलब्ध हैं, जिससे कि ज़रूरत पड़ने पर वे एक ही जगह पर मिल जाएं।

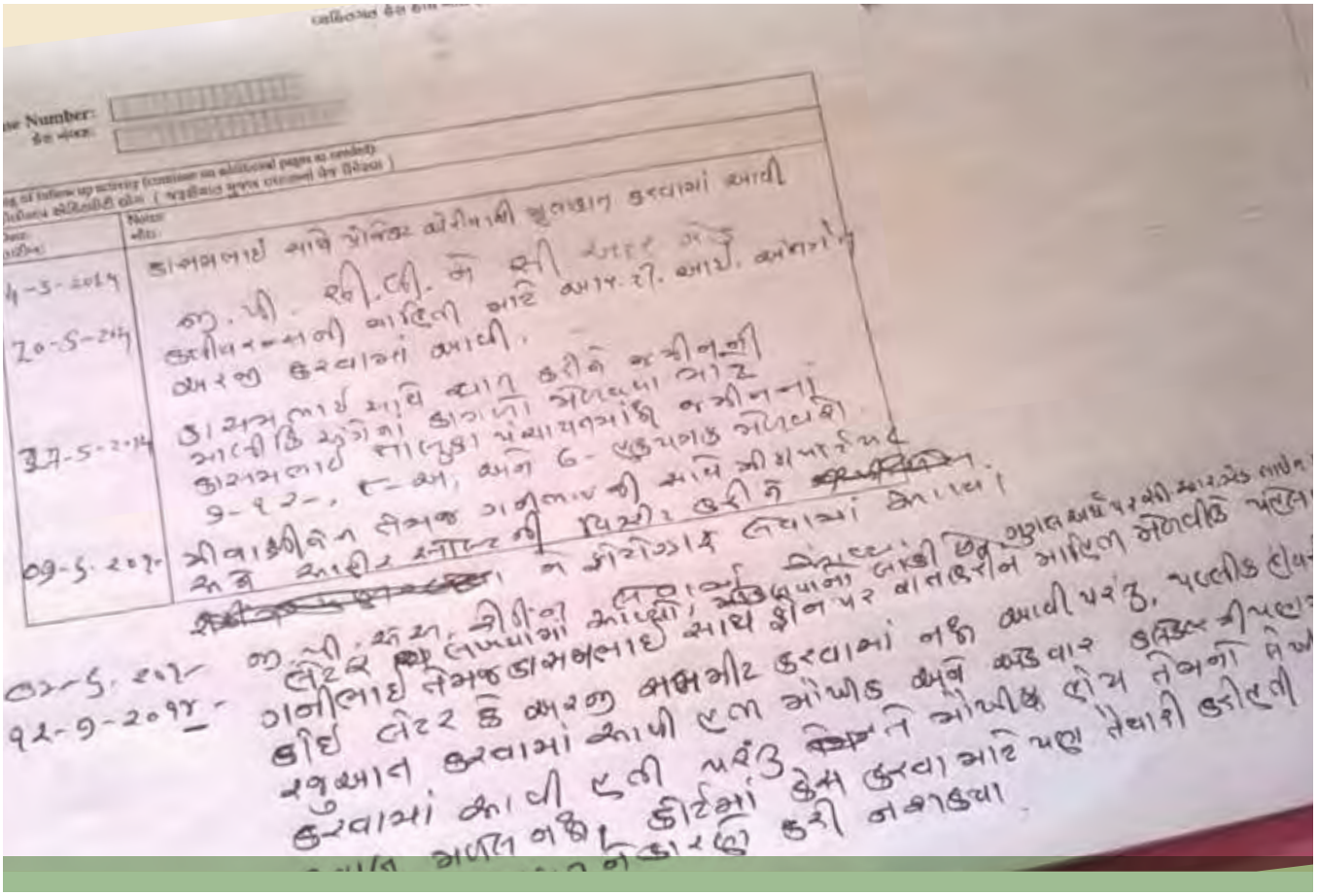

गुजरात के एक मामले में पैरालीगल द्वारा बनाया गया तिथि–वार ऐक्शन लॉग

व्यवस्थित दस्तावेज़ीकरण पैरालीगलों की टीम को जब ज़रूरत पड़े, तो अपने मामले और उनसे सीखे हुए पाठ पेश करने में मदद करता है।

मामलों की फाइल

पैरालीगल हर मामले के लिए एक फाइल बनाते हैं जिसमें केस ट्रैकिंग फार्म, ऐक्शन लॉग, सभी की गई कार्यवाहियों के दस्तावेज़ी सबूत और मामले के अन्य संबंधित दस्तावेज़ रखे जाते हैं। मामले में किए गए प्रयासों और उसमें होने वाली प्रगति जानने के लिए यह फाइल बहुत महत्व रखती है।

जिन मामलों में इकट्ठी की गई जानकारी संवेदनशील हो और उसमें किसी का नाम होने के कारण या अन्य कारण से खतरा बढ़ सकता हो, तो जानकारी को कोड के रूप में या बेनाम तरीके से लिखने के प्रयास किए जा सकते हैं।

यदि कोई ऐसी जानकारी है जिसके लिए केस ट्रैकिंग फार्म में कोई जगह नहीं है, तो पैरालीगल उसके लिए एक अलग पर्चा लेकर, उसपर पूरी जानकारी लिख सकते हैं।

पैरालीगल को दस्तावेज़ों के रूप में जितनी हो सके उतनी जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए, जैसे कि पुरानी याचिकाएं और शिकायतें जो प्रभावित समुदायों ने जमा की हों, मामले या मुद्दे से संबंधित समाचार की खबरें, अनुमतियों/स्वीकृतियों के सबूत, बेदख़ली के नोटिस या किसी अनुमति की नामंजूरी और कोर्ट के आदेश। सबसे अच्छा रहता है कि इन दस्तावेज़ों की फोटोकॉपी करके, असल दस्तावेज़ जिसके हो उसे लौटा दिए जाएं। इन दस्तावेज़ों की प्रतियों को केस ट्रैकिंग फार्म के साथ रखा जा सकता है।

केस फार्म में किसी भी सवाल या कौलम को खाली नहीं छोड़ा जाना चाहिए। यदि वह सवाल उस मामले से संबद्ध नहीं है, तो खाली छोड़ने के बजाए, यही लिखा जा सकता है। यदि उसका जवाब नहीं लिखा जा सकता, तो यह कहा जा सकता है कि ''कह नहीं सकते'' या ''पता नहीं''।

सावधान!

3.3 मामलों का विश्लेषण और कार्यवाही

जांच करने और जानकारी इकट्ठी करते हुए, पैरालीगल की मामले की निष्पक्ष समझ बन जाती है। इसके लिए उनके द्वारा कई बार समस्या के स्थल पर जाना, अन्य समुदायों और लोगों से बात करना जिन्हें स्थिति के बारे में पता हो या समस्या की विस्तृत जानकारी हो, स्थानीय अखबारों और टी.वी. रिपोर्टों को जांचना और संबंधित कानूनों व नीतियों को पढ़ना शामिल है।

कुछ मामलों में, इस स्तर पर अन्य जानकारी उपलब्ध हो जाने से, समस्या की परिभाषा को बदलने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। नई जानकारी के आधार पर समस्या की परिभाषा को पुनः देखकर उसमें संशोधन करना अच्छी प्रक्रिया है और इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि पैरालीगल या सामुदायिक सहभागी/क्लाइन्ट उसे पहले ही अच्छे से लिखने में नाकामयाब रहे। सभी इकट्ठी की गई जानकारी के आधार पर, पैरालीगल रणनीतियां तैयार करते हैं और उन संस्थानों की पहचान करते हैं जिनके पास उस मामले के समाधानों के लिए जाना होगा।

किसी मामले का विश्लेषण करना

तटीय विनियमन क्षेत्र (सी.आर.ज़ेड) में खतरनाक कैमिकल का भंडारण

समस्या की परिभाषा के खंड में दिए गए मामले में जब पैरालीगल ने इंटरव्यू किया, तो उन्हें पता चला कि इस भंडारण संयंत्र का निर्माण सी.आर.ज़ेड क्षेत्र में हो रहा था और इससे वहां के लोगों पर प्रभाव पड़ रहे थे। स्थल पर जाकर उन्होंने पाया कि इस संयंत्र के नज़दीक एक स्कूल भी है और इससे स्कूल के बच्चों के जीवन को खतरा होने के साथ–साथ, मीठा बंदरगाह के निवासियों को भी खतरा है। इससे मामले का प्रभाव काफी बढ़ गया। उन्हें यह भी पता चला कि स्थानीय लोगों ने पहले भी अपनी चिंताएं ज़िला कलेक्टर के सामने उठाई थीं।

इस मामले में एक महत्वपूर्ण पहलू परियोजना के बारे में और जानकारी इकट्ठा करते समय जुड़ा। जब पैरालीगल ने परियोजना के लिए दी गई पर्यावरणीय मंजूरी का पत्र पढ़ा, तो उसे पता चला कि परियोजना की अर्जी और उसके बाद दी गई मंजूरी में संयंत्र जिस जगह बनना था, वास्तव में वह उससे अलग जगह पर बनाया जा रहा है। तो अब यह मामला केवल सी.आर.ज़ेड उल्लंघन का ही नहीं, बल्कि गलत जानकारी के आधार पर परियोजना के लिए पर्यावरणीय मंजूरी लेने का भी बन गया।

गुजरात में सी.आर.ज़ेड कानून के अंतर्गत गैर–विकास क्षेत्र के उल्लंघन में बना कैमिकल भंडारण संयंत्र

गुजरात में एक कोयला संयंत्र से सब्ज़ी के खेतों पर हो रहे प्रभावों की जांच करते पैरालीगल

पैरालीगल किसी मामले का समाधान ढूंढने के लिए कई प्रकार की रणनीतियों का उपयोग करते हैं और कई बार एक मामले में एक से ज़्यादा रणनीतियों का भी। इन रणनीतियों में शामिल है तथ्यों, उद्घोषणाओं, सरकारी परिपत्रों/आदेशों और कोर्ट के फैसलों/आदेशों की जानकारी, जो कि मामले के लिए उपयोगी हो सकते हैं। पैरालीगलों को प्रशिक्षित किया जाता है कि वे सामुदायिक सहभागियों/क्लाइन्टों को कानून, कानूनी प्रक्रियाओं और उनके मामले की विशिष्टता के आधार पर समस्या का हल कैसे निकाला जा सकता है, इसके बारे में राय दे सकें। पैरालीगल सामुदायिक सहभागियों/क्लाइन्ट के साथ उन कानूनों, संपर्क करने वाले संस्थानों और समस्या का हल निकालने के तरीकों के बारे में चर्चा करते हैं, जो उनके मामले को प्रभावित कर सकते हैं।

इन चर्चाओं के बाद, वे उन के साथ मिलकर कार्यवाही की योजना बनाते हैं जिससे कि मामले में वांछित परिणाम प्राप्त किए जा सकें। इस कार्यवाही योजना में कई प्रकार की रणनीतियां शामिल होती हैं, जिनका विवरण इस खंड में दिया जा रहा है।

कानूनों के विषय पर जागरुकता बढ़ाना

न्यायिक समस्याओं के मूल कारणों की पहचान करके उनका समाधान निकालने के लिए कानूनी प्रशिक्षण काफी उपयोगी रहते हैं। इसके साथ ही इनसे प्रभावित समुदायों की समाधान ढूंढने में सूचित भागीदारी प्राप्त करने में भी मदद मिलती है। समुदायों की ऐसे कानूनों के बारे में समझ बढ़ाना जिनसे अन्याय को रोका जा सके या उसका हल निकाला जा सके, यह कानूनी सशक्तिकरण का प्रमुख उद्देश्य है। उदाहरण के लिए, उत्तर कन्नड़ा, कर्नाटक (भारत) के पैरालीगलों से वहां के स्थानीय मछुआरा समुदाय के कई लोगों ने संपर्क किया। उन्होंने पैरालीगल से मदद मांगी कि वे उन्हें तटीय भूमि पर उनके घर बनाने के लिए स्वीकृति दिलवाएं। पहले पांच या छः मामलों में, पैरालीगल ने सामुदायिक सहभागियों या क्लाइन्टों की अर्जियां दर्ज करवाने और उन्हें सी.आर.ज़ेड मंजूरी दिलवाने में मदद की। जब उन्हें समझ आया कि उस समुदाय में कई लोगों को इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है/ पड़ सकता है, तो उनकी टीम ने तय किया कि वे इस कानून के बारे में जागरुकता बढ़ाएंगे। पैरालीगलों ने लिखित सामग्री बांटी जिससे कि मछुआरा समुदाय को घर बनाने के लिए सी.आर.ज़ेड मंजूरी प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी मिल जाए। इन प्रक्रियाओं के बारे में जागरुकता फैलने से पैरालीगलों को अब घर बनाने के मामलों पर काम करने की ज़रूरत नहीं रही। अब वे टेलिफोन पर सामुदायिक सहभागियों या क्लाइन्टों को सलाह देते थे और उन्हें प्रकाशित सामग्री पढ़ने की राय देते थे। किसी मामले में कोई अन्य समस्या होने पर ही, उन्हें सामुदायिक भागीदारों/ क्लाइन्टों के साथ सी.आर.ज़ेड के ऑफिस में जाने की ज़रूरत पड़ती थी।

कर्नाटक में कानूनों को समझाने वाले पोस्टर लगाते हुए पैरालीगल

जानकारी इकट्ठी करना और सबूत तैयार करना

मामलों पर काम करते समय पैरालीगल के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य होता है जानकारी इकट्ठी करना और सबूत तैयार करना। सरकारी संस्थान, गलती करने वाले, मीडिया सा समुदाय पैरालीगल और उनके सामुदायिक सहभागियों को तभी गंभीरता से लेंगे जब उनके पास मामले की विस्तृत जानकारी होगी और उल्लंघन/गैर–अनुपालन के सबूत होंगे। वे फोटोग्राफ, मानचित्रों, ग्लोबल पोज़िशनिंग कोऑर्डिनेट्स (जी.पी.एस), सरकारी परिपत्र, अखबार/टी.वी रिपोर्ट, और अकादमिक/सरकारी लेखों/अध्ययनों/रिपोर्टों को जानकारी और सबूतों के रूप में इकट्ठा कर सकते हैं। इकट्ठे किए गए सबूतों से यह साबित होना चाहिए कि प्रभाव किसी विशिष्ट कानून के गैर–अनुपालन या उल्लंघन के कारण हुए हैं। इनमें कारण स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। ज़मीनी सत्यापन एक ऐसा तरीका है, जिसके माध्यम से पर्यावरणीय न्याय संबंधी शिकायतों के लिए सबूत तैयार किए जा सकते हैं।

कुछ मामलों, जहां पर प्रभावों के संदर्भ में किसी अनुपालना या कानूनी मानकों की अवमानना को ज़िम्मेदार न ठहराया जा सके, वहां पर नुक्सान या क्षति के सबूतों को जितने ज़्यादा तथ्यात्मक विस्तार से पेश किया जा सके, करना चाहिए, जिससे कि शिकायत को संबंधित संस्थान के पास दर्ज करवाया जा सके।

ओडिशा में नदी के तट पर कच्चे कोयले के खनन से होने वाले प्रभावों को दिखाती हुई महिला।

सबूत तैयार करने पर और अधिक जानकारी के लिए ज़मीनी तथ्य सत्यापन प्रक्रिया को यहां से डाउनलोड करें।
Note: https://namati.org/wp-content/uploads/2016/06/Groundtruthing-methodology-note.pdf

ओडिशा में खनन के प्रभावों से प्रभावित लोगों के साथ बैठक करते पैरालीगल और सामुदायिक सहभागी

सलाह के लिए चर्चाएं

पैरालीगल प्रभावित समुदायों के लिए काम करने के बजाए उन के साथ काम करते हैं। उद्देश्य केवल उनकी समस्याओं के समाधान ढूंढना ही नहीं, परंतु समुदायों में कानूनों की जानकारी और समस्याओं के समाधान निकालने के कौशल बनाना भी है। यह सीख साथ में काम करके ही संभव हो पाती है। मामले में की गई हर कार्यवाही पर सलाह के लिए चर्चा की जाती है, जिससे कि चर्चा से मामले में आगे बढ़ने के रास्ते निकालने के निर्णय लिए जा सकें।

प्रभावकारी और उपयोगी चर्चाओं के लिए, पैरालीगल सामुदायिक सहभागियों या क्लाइन्ट समूहों को मामले की पूरी पिछली जानकारी देते हैं, जितनी भी नई जानकारी उन्होंने इकट्ठी की है वो भी और विभिन्न समाधानों के लिए संभावित रास्ते बताते हैं। क्लाइन्ट समूह या सामुदायिक सहभागी दी गई जानकारी पर चर्चा करते हैं ओर विभिन्न संभावित कार्यवाहियों के फायदे और नुक्सान समझते हैं। यह चर्चाएं एक निष्पक्ष जगह पर की जाती हैं, इस तरह से कि समस्या से प्रभावित ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनमें भाग ले सकें। इन चर्चाओं में एक व्यक्ति के बोलने, आदेशों या बयानबाजी के बजाए वाद–विवाद और अच्छे से सोचे–समझे तर्कों को बढ़ावा दिया जाता है। यह चर्चाएं सामुदायिक जानकारी बढ़ाने और समस्याओं, संभावित समाधानों या हल और विभिन्न विकल्पों के फायदे और नुक्सान के बारे में चर्चा करने की उनकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण हैं। इन चर्चाओं के माध्यम से, पैरालीगल विचारशील या भागीदार लोकतंत्र कैसे काम करता है, यह दर्शाते हैं।

गुजरात में एक पाइपलाइन में रिसाव की जांच करते हुए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों के साथ पैरालीगल

प्राधिकारियों और संस्थानों से संपर्क करना

पैरालीगल अपने क्लाइन्टों या सामुदायिक सहभागियों को विभिन्न संस्थानों जैसे कि पर्यावरण विभाग, राजस्व कार्यालय, ज़िला कलेक्टर कार्यालय या मछुआरा विभाग से संपर्क बनाने में मदद करते हैं। वे यह जानने में मदद करते हैं कि यह कार्यालय कहां स्थित हैं, किस समय खुलते हैं और उनसे कैसे संपर्क किया जा सकता है। इसमें पत्र, शिकायतें लिखने में सहयोग, सूचना के अधिकार के अंतर्गत अर्जी लिखना, कार्यालय में जाना और फोन करना शामिल है। समय और लोगों की क्षमता–वर्धन के साथ, इस प्रकार के सहयोग की ज़रूरत कम होती जाती है और बाद में केवल परामर्श देने और संपर्क के तरीकों के बारे में बता देने से ही, लोग काम आगे बढ़ा लेते हैं। आम तौर पर, सबसे नज़दीक के संस्थान से समाधान प्राप्त करने की कोशिश की जानी चाहिए (अगर इसका प्रयास पहले नहीं किया गया हो)। उदाहरण के लिए, गांव/स्थानीय स्तर के संस्थान जैसे कि पंचायत और नगरपालिका से पहले संपर्क किया जाना चाहिए, उसके बाद खंड, ज़िला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर। लेकिन, समस्या के प्रभाव और विस्तार के अनुसार या कुछ रणनैतिक कारणों से, कभी–कभी उच्च स्तरीय संस्थानों से सीधा संपर्क करना भी उपयोगी हो सकता है।

संभव है कि समाधान ऐसे संस्थानों या कानूनों से ही मिल जाए जो हमारे स्वाभाविक चुनाव में न आते हों या वे समस्या या उसके समाधान के लिए सीधे रूप से ज़िम्मेदार न हों। उदाहरण के लिए, नदीमुख से सीपी मोलस्क इकट्ठे करने वाले मछुआरों का बीमा करवाने के लिए, राज्य मत्स्य विभाग के अतिरिक्त, मानव संसाधान, अल्पसंख्यक और बाल एवं महिला कल्याण विभागों से भी संपर्क किया गया। इसी तरह, एक पाइपलाइन के प्रभावों को संबोधित करने के मामले में, पाइपलाइनों के लिए भूमि अधिग्रहण करने से संबंधित एक विशिष्ट कानून को लागू किया गया।

संस्थागत सहयोगियों की पहचान करना

मामले के समाधान के शुरुआती चरणों में ऐसे संस्थानों की पहचान करना उपयोगी रहता है, जो मामले का हल निकालने में मदद कर सकते हैं। यह संस्थान उन संस्थानों से अलग होते हैं, जो सीधे रूप से समस्या के होने/नज़रंदाज करने के लिए ज़िम्मेदार हैं। लेकिन ये संस्थान किसी विशिष्ट समुदाय या लोगों के समूह के कल्याण के लिए ज़िम्मेदार हो सकते हैं (उदाहरण के लिए, मत्स्य विभाग, महिला एवं बाल कल्याण विभाग, या आदिवासी कल्याण मंत्रालय)। कई बार किसी मामले में किसी ऐसे संस्थान को भी शामिल किया जा सकता है जिसके कार्यक्षेत्र में प्रभाव हो रहे हैं। उदाहरण के लिए, वन/तटीय भूमि पर नगरपालिका द्वारा कचरा फेंके जाने के मामले में, आसपास के गांवों को होने वाली क्षति के अलावा, वन विभाग या तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकारण को भी समस्या हो सकती है, जिनके अंतर्गत यह गैर–कानूनी कचरे के ढेर का स्थल आता हो। ऐसे संस्थान इन मामलों में सहयोगी की भूमिका निभा सकते हैं और मामले का समाधान जल्दी और आसानी से निकालने में मददगार भी हो सकते हैं।

जहां भारत में किए गए प्रयासों में निम्नलिखित संस्थानों की मदद ली गई है, वहीं कई अन्य ऐसे संस्थान हैं जिनकी मदद पैरालीगल ले सकते हैं।

- पंचायत
- मामलातदार (स्थानीय भू-राजस्व अधिकारी)
- ज़िला कलेक्टर
- ज़िला स्तरीय तटीय कमिटि
- वन विभाग
- मत्स्य विभाग
- क्षेत्रीय या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
- क्षेत्रीय या राज्य तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण
- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

छत्तीसगड़ में सामुदायिक सहभागियों के साथ पैरालीगल वायु प्रदूषण पर एक शिकायत लिखते हुए

याचिकाएं/शिकायत पत्र लिखना

कार्यवाही का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्लाइन्ट या सामुदायिक सहभागियों के साथ मिलकर याचिकाएं/पत्र लिखना। यह काम अक्सर संस्थानों के पास जाने से पहले किया जाता है। इसके लिए शुरुआत के चरणों में पैरालीगल को ज़्यादा काम करना पड़ता है। लेकिन, एक बार क्लाइन्ट या सामुदायिक सहभागी पत्र लिखने का तरीका सीख लेते हैं, तो पैरालीगल को उन्हें केवल क्या लिखना है और पत्र किस कानूनी जानकारी के आधार पर लिखा जाना चाहिए, इस पर सलाह ही देनी होती है। उत्तर कन्नड़ा में, पैरालीगल की मदद से, एक गांव के निवासियों ने उनके नज़दीक की एक पहाड़ी पर कचरा फेंके जाने के बारे में वहां की नगरपालिका को याचिका दी। इस कचरे के ढेर के कारण आसपास के पानी के स्रोत प्रदूषित हो गए थे और इससे वहां बीमारी फैलने का खतरा पैदा हो गया था।

समुदायों को प्रभावित करने वाले मामलों या समस्याओं के समाधान के लिए लिखे जाने वाले पत्रों में आम तौर पर समस्या की परिभाषा, समस्या का प्रकार और इतिहास और उससे प्रभावित होने वाले लोगों का विस्तृत विवरण शामिल रहता है। इन मुद्दों को दर्शाने/साबित करने वाले सबूत भी इसमें शामिल रहते हैं। और अंततः, इसमें यह भी लिखा जा सकता है कि संबंधित संस्थान से किस प्रकार की कार्यवाही की अपेक्षा है जिससे कि समस्या का समाधान हो सके। कई स्थितियों में, पैरालीगल और क्लाइन्ट या सामुदायिक सहभागी किसी मामले पर इसलिए कार्यवाही करना तय करते हैं जिससे कि वे यह स्थापित कर सकें कि समस्या क्या है या फिर इसलिए कि संस्थान समस्या को पहचानें। इसके बाद ही वे मामले में आगे के चरणों में अपने सुझाव, मांगें या समाधान देते हैं। *परिशिष्ट 2 में दिए गए शिकायत पत्र के मसौदे को देखें।*

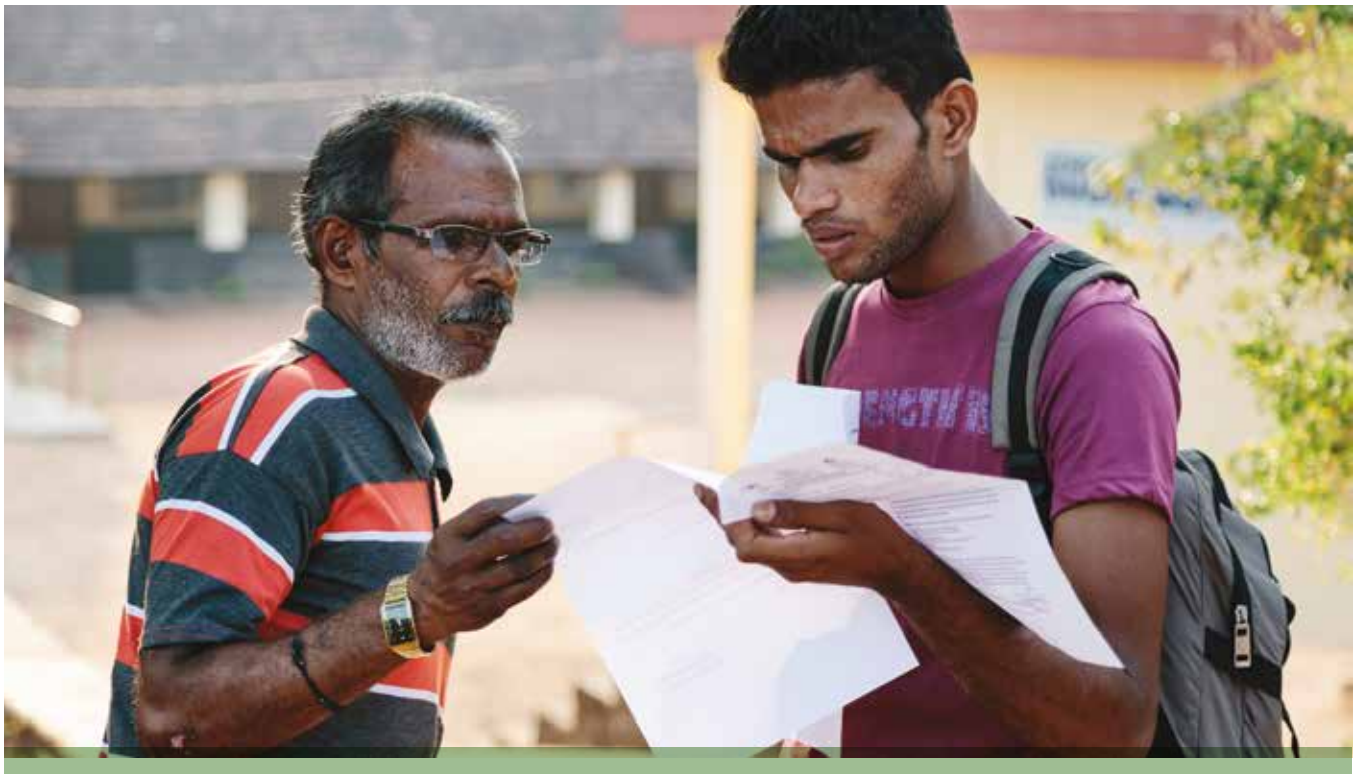

कर्नाटक में अपनी शिकायत के जवाब में स्थानीय प्राधिकारियों से प्राप्त अधिकारिक पत्र पढ़ते हुए पैरालीगल और सामुदायिक सहभागी

स्थानीय मीडिया में रिपोर्ट करना

पैरालीगल उल्लंघनों और उनसे जुड़े प्रभावों के मामले मीडिया में भी रिपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन, ऐसा करने का निर्णय संदर्भ पर आधारित होना चाहिए। कई बार, समय से पहले मीडिया में रिपोर्ट देने से संबंधित विभाग नाराज़ हो सकते हैं और इसके कारण वे विरोधपूर्ण रवैया अपना सकते हैं। अन्य स्थितियों में, मीडिया का उपयोग प्रभावित लोगों की ओर से संबंधित संस्थान पर दबाव बनाने का एक अच्छा तरीका हो सकता है जिससे जल्दी और बेहतर समाधान प्राप्त हो सकते हैं। मीडिया से संपर्क करना ऐसी स्थितियों में भी उपयोगी होता है जब वे समस्या पर अपना ध्यान बनाए रखने को तैयार हों, न कि एक बार उसे दिखा कर बंद कर दें। पैरालीगल मीडिया में अपने मामलों के बारे में स्वयं लिखने के लिए भी उपयुक्त स्थिति में होते हैं।

ನಿಯಮ ಮೀರಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇ

कर्नाटक में एक लैन्डफिल के मामले पर छपी खबर

मध्यस्थता

पैरालीगल दो या दो से ज़्यादा पक्षों के बीच मतभेद/टकराव के मामलों में समाधान प्राप्त करने में भी मदद कर सकते हैं। मध्यस्थता तोल–मोल करने या प्रतिनिधित्व से अलग प्रकार की रणनीति है। मध्यस्थता करते समय, किसी एक पार्टी का पक्ष नही लिया जाता, बल्कि दोनों पार्टियों के लिए एक निष्पक्ष और सुतंलित समाधान निकालने का प्रयास किया जाता है। तोल–मोल या प्रतिनिधित्व में, पहले ही तय कर लिया गया होता है कि हम किस के पक्ष में हैं, और दूसरी पार्टी को हमारी पार्टी की ओर से समाधान का प्रस्ताव दिया जाता है। मध्यस्थता जल्दी समाधान निकालने का सस्ता तरीका हो सकता है यदि यह दिख रहा हो कि प्रभाव पैदा करने वाली पार्टी मामले का समाधान निकालने के लिए सुझाव लेने को तैयार है। इसमें गलती करने वाली पार्टी को शक़ की गुंजाइश का फायदा देते हुए अवसर दिया जाता है कि वह समस्या या स्थिति को ठीक/उसका समाधान कर दे। उत्तर कन्नडा में, मछली पालन के लिए किए जा रहे एक निर्माण के कारण खाड़ी में अवरोध बन गया था। यह सी.आर.ज़ेड कानून का उल्लंघन था और निर्माण के कारण आसपास के खेतों में जाने वाला पानी का बहाव भी रुक गया था। पैरालीगल ने निर्माण करने वाली कंपनी के मालिक और जिन किसानों के खेत प्रभावित हो रहे थे, उनके बीच एक बैठक आयोजित की। कंपनी मालिक को किसानों द्वारा कोई मुद्दा उठाए जाने की उम्मीद नहीं थी। जब उसे पता चला कि किसान सी.आर.ज़ेड कार्यालय में शिकायत लेकर जाने के बारे में सोच रहे हैं, तो वह निर्माण को तोड़ कर खाड़ी को साफ करने के लिए राज़ी हो गया।

कुछ विशिष्ट रूप से मुश्किल या गंभीर मामलों में, पैरालीगल मामले को किसी वकील के पास भी भेज सकते हैं, जो समाधान के लिए कानूनी मुकदमा लड़ सकते हैं। ऐसी कई अन्य रणनीतियां हैं, जिन्हें पैरालीगल रचनात्मक तरीके से और संदर्भ को देखते हुए उपयोग कर सकते हैं।

कर्नाटक में सीपी संग्रहकर्ताओं के समूह के साथ बैठक करता पैरालीगल

ओडिशा में इकट्ठी की गई ज़मीनी जानकारी के आधार पर मामले में रणनीतियां तय करते हुए पैरालीगल

चेतावनियां!

समस्या या प्रभाव के प्रकार की पूरी समझ, किन पहलुओं को संबोधित करने के प्रयास किए जा चुके हैं और वे कामयाब क्यों नहीं हुए – यह हर मामले में आगे की कार्यवाही तय करने के लिए पहला कदम होना चाहिए।

पैरालीगल को सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐक्शन प्लान (और कार्यवाही के दौरान उसमें आए किसी भी बदलाव) को क्लाइन्ट या सामुदायिक सहभागियों के साथ चर्चा करके ही तय किया जाए।

रणनीतियों का मिश्रण या एक ही समय में कई प्रकार की रणनीतियों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, बजाए इसके कि परिणाम प्राप्त करने के लिए एक ही रणनीती पर भरोसा किया जाए। लेकिन, कुछ स्थितियों में, नौकरशाही या राजनैतिक माहौल की मांग अलग हो सकती है।

जहां तक संभव हो, संस्थानों के साथ बातचीत में क्लाइन्ट/सामुदायिक सहभागियों को पूरी तरह से शामिल रखना चाहिए। उदाहरण के लिए, पत्र/याचिकाएं लिखने से पहले उनके साथ चर्चा करना और लिखने के बाद उन्हें भेजना, फोन उनकी मौजूदगी में किए जाने चाहिए, और धीरे–धीरे सामुदायिक सदस्यों को मामले से संबंधित सभी संस्थानों में जाने और फोन करने की ज़िम्मेदारी अपने हाथ में ले लेनी चाहिए।

कार्यवाही की योजना फुर्तीली और लचीली होनी चाहिए; ऐसी रणनीतियों का उपयोग करने से बचना चाहिए जिनसे पैरालीगल, क्लाइन्ट, सामुदायिक सहभागियों और साथियों के लिए जोखिम पैदा हों।

समस्या के समाधान ढूंढते हुए, हर कदम पर सामुदायिक सहभागी या क्लाइन्ट की सहभागिता अनिवार्य है।

केओन्झार, ओडिशा में सामुदायिक सहभागियों और पैरालीगलों के प्रयासों के परिणामस्वरूप, वायु प्रदूषण फैलाने वाले खनिजों का यातायात करने के तरीके बेहतर हुए हैं।

उत्तर कन्नडा, कर्नाटक में पैरालीगल और सामुदायिक सहभागियों द्वारा, नगरपालिका को लैन्डफिल साइट्स के विषय पर समझबूझ कर लिखी शिकायतों के परिणामस्वरूप, उन्हें उनकी सफाई करवाने में सफलता मिली।

3.4 मामलों को रिपोर्ट करना

हर मामले को सही तरीके से किसी भी मंच या बैठक में रिपोर्ट करने के लिए उसके विवरण को नीचे दिए बिंदुओं के अनुसार लिखना उपयोगी रहता है। ये बिंदु पैरालीगलों से आम तौर पर पूछे जाने वाले कुछ सवाल हैं जो मामले या उनकी रणनीतियों में रुचि रखने वाले लोग पूछते हैं, जैसे कि सरकारी अधिकारी, उनके काम के संभावित सहयोगी या मीडिया।

मूल बातें

1. मामला किस समस्या को संबोधित कर रहा है? समस्या से कौन प्रभावित हो रहा है और किस प्रकार से?

2. इस मामले की पहचान किस ने की? मामले में क्लाइन्ट कौन हैं? उनमें से पुरुष कितने हैं और कितनी औरतें हैं?

3. उल्लंघन करने वाला कौन है (सरकार / ठेकेदार / परियोजना प्राधिकरण / व्यक्ति / अभी स्पष्ट नहीं है)? किन कानूनों / शर्तों / कोर्ट आदेशों का उल्लंघन हो रहा है?

4. यह मामला क्यों महत्वपूर्ण है? या, यदि इस मामले का हल हो जाता है, तो कितने लोगों को फायदा मिलेगा? कितने पुरुष, कितनी औरतें (यहां पर नज़दीकी अनुमानित संख्या देना काफी है)? उन्हें किस प्रकार के लाभ मिलेंगे (उदाहरणतः, स्वच्छ वायु, निर्णय प्रणाली में प्रतिनिधित्व, सार्वजनिक जगहों पर जाने की छूट जैसे कि समुद्री तट, आजीविकाओं को लाभ आदि)? कृपया स्पष्टता से बताएं और जहां तक हो सके, सबूतों के साथ।

इतिहास

5. अन्य लोगों / क्लाइन्ट ने इस समस्या के समाधान के लिए इससे पहले क्या कदम उठाए हैं?

6. वे समस्या का समाधान क्यों नहीं कर पाए?

समाधान

7. मामले के लिए किस प्रकार के समाधान की मांग की जा रही है?

8. समाधान के लिए आपने किन अधिकारियों / विभागों से संपर्क किया? कृपया पूरी सूचि दें, उनके जवाब और उन्होंने जवाब देने में कितना समय लिया।

9. जिन अधिकारियों / विभागों से संपर्क किया गया, इस समाधान के लिए आपके अनुसार उनमें से कौन सीधे रूप से ज़िम्मेदार है?

तरीके

10. इस मामले के लिए आपने किस–किस प्रकार के सबूत तैयार किए? स्पष्ट रूप से सूचि बनाएं (उदाहरणतः, तीन दिनों तक लगातार गारा फेंके जाने के फोटो, स्थानीय लोगों द्वारा की गई शिकायतों की समाचार खबरें, गूगल मैप पर डम्पिंग साइटों और राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के निर्देशांक जो दर्शाते हों कि डम्पिंग उद्यान के अंदर हो रही है)।

11. आपने अधिकारियों / विभागों के साथ किस प्रकार बातचीत की (उदाहरणतः, पत्र / सूचना के अधिकार की अर्जी / फोन / खुद जाकर)? इस मामले के लिए इन तरीकों से आपने उन से कितनी बार बात की? इस प्रक्रिया में कितने क्लाइन्ट आपके साथ जुड़े?

12. आपने और क्या–क्या तरीके अपनाए? स्पष्ट रूप से बताएं (उदाहरणतः, मीडिया रिपोर्ट / समुदाय में बैठक / समुदाय द्वारा याचिका / अन्य)।

13. आपके अनुसार आप इस मामले का समाधान क्यों कर पाए (उदाहरणतः, अच्छे सबूत, स्पष्ट कानूनी कारण, उत्तरदायी अधिकारी, समुदाय की ताक़त, आदि)?

फायदे

14. इस मामले से आपने क्या सीखा?

15. अगर यह समस्या फिर से आती है, तो क्या क्लाइन्ट या सामुदायिक सहभागी अपने आप इसका समाधान कर लेंगे? क्यों / क्यों नहीं?

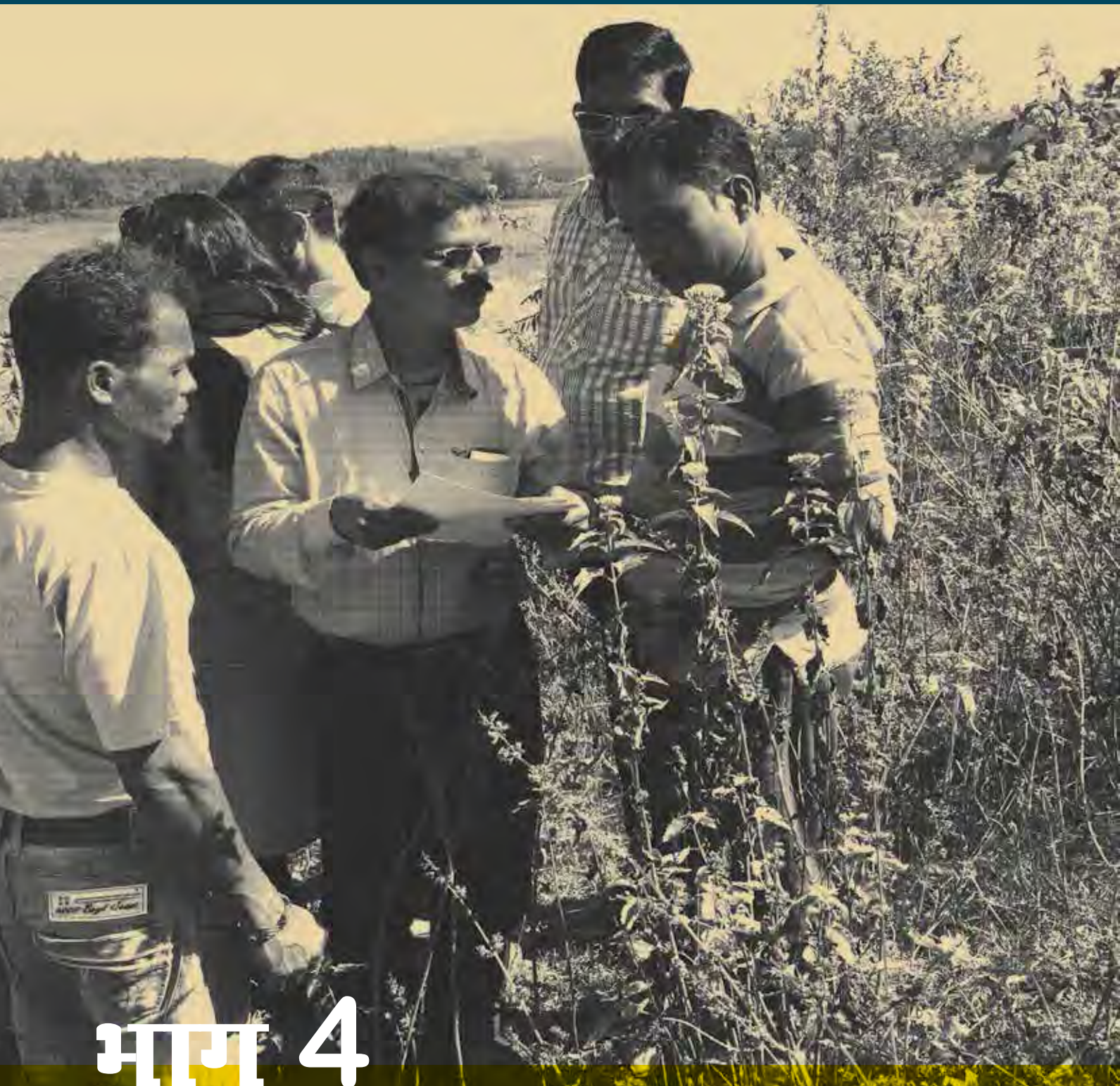

भाग 4

कानूनी सशक्तिकरण के माध्यम से पैरालीगल कार्यक्रम स्थापित करना

कोई भी संस्था जो सामाजिक-आर्थिक समस्याओं और पर्यावरणीय क्षति से प्रभावित, और आधिकारिक निर्णय प्रक्रिया द्वारा अधिकारहीन रखे गए समुदायों को न्याय दिलवाने के लक्ष्य के प्रति समर्पित है, वह पैरालीगल या सामुदायिक कानूनी पैरवीकारों के माध्यम से कार्यक्रम स्थापित कर सकती है।

पैरालीगल कार्यक्रम स्थापित करने के लिए न्यूनतम आवश्यकता है कि ध्यानपूर्वक, प्रशिक्षण व लगातार सहयोग देते हुए और उसका मूल्यांकन करते हुए, समुदाय–आधारित पैरालीगलों की एक टीम को तैयार किया जाए। कार्यक्रम के इन पहलुओं को बदलते राजनीतिक और कानूनी परिवेश को ध्यान में रखते हुए विकसित और संशोधित किया जाना चाहिए। अतः इन पहलुओं को एक प्रभावकारी पैरालीगल कार्यक्रम तैयार करने की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंश मानना ज़रूरी है, बजाए इसके कि इन्हें एक 'आदर्श' के रूप में स्थापित किया जाए।

कानूनी सशक्तिकरण के माध्यम से नेतृत्वकर्ता तैयार करना

4.1 पैरालीगलों का चयन

एक पैरालीगल कार्यक्रम की सफलता उसकी पैरालीगल टीम पर निर्भर करती है। ध्यानपूर्वक चुने गए और प्रशिक्षित पैरालीगल प्रभावित लोगों के बीच विश्वास बनाने में मदद करते हैं और उनके साथ एक स्वस्थ रिश्ता बना कर उनके साथ मिलकर काम करते हैं।

पैरालीगल अपने सिखाने के कौशल का उपयोग करते हुए समुदायों को सशक्त करते हैं और बाहरी दुनिया को बताते हैं कि समुदाय किस प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहे हैं और उनके समाधान कैसे निकाले जा सकते हैं। वे प्रतिबद्ध लोग होते हैं जिनमें नेतृत्व करने के गुण होते हैं, सभी का सम्मान करते हैं और हमेशा सीखने की लालसा रखते हैं। वे न केवल अपने समुदायों के लिए काम करते हैं, बल्कि सार्वजनिक हित में अन्याय के खिलाफ़ भी काम करते हैं।

किसी भी कानूनी सशक्तिकरण प्रयास के लिए स्वयंसेवी महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन पैरालीगल के लिए किसी प्रकार का मानदेय ज़रूरी होता है। बिना किसी मानदेय या उनके खर्च की व्यवस्था किए बिना उनसे पर्यावरणीय न्याय पैरालीगल के रूप में कड़ी मेहनत के काम की अपेक्षा करना मुश्किल और/या अनुचित है।

पैरालीगलों के चयन के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं।

नौकरी की घोषणा

अपेक्षित योग्यताओं और कौशल, काम करने की शर्तों, नौकरी की अवधि व अन्य विवरण के साथ नौकरी की घोषणा बनानी होगी। इस घोषणा को व्यापक रूप से कॉलेज और विश्वविद्यालयों में भेजा जा सकता है, जिनमें समाज कार्य, कानून और सामाजिक विज्ञान के विभाग शामिल हैं। कॉलेजों में पर्चे बांटना, विश्वविद्यालय के छात्रों से बात करना और पहले से मौजूद पैरालीगलों के माध्यम से यह खबर फैलाना भी कुछ तरीके हो सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवार से, एक कवर लेटर और रेफरेन्स के साथ उनका बायोडेटा मंगाया जा सकता है।

उम्मीदवारों का चुनाव

उम्मीदवारों का चुनाव करने के लिए, अर्जियों का आंकलन उम्मीदवार के अनुभव, शैक्षिक योग्यताओं, लेखन क्षमता (जिसका आंकलन कवर लैटर के आधार पर किया जा सकता है), कहां स्थित है (कार्यक्षेत्र के संदर्भ में), किन लोगों का रैफरेन्स है और काम की रुचि के आधार पर किया जा सकता है।

परीक्षा और इंटरव्यू

चुने हुए उम्मीदवारों को परीक्षा के लिए बुलाया जा सकता है। पहले चरण में, एक लिखित परीक्षा ली जा सकती है जिसमें उम्मीदवारों से सूचना के अधिकार की अर्जी लिखने को कहा जाए और साथ ही उनके क्षेत्र की किसी पर्यावरणीय न्याय संबंधी समस्या पर निबंध भी। इस समस्या के बारे में लिखते समय उन्हें निर्देश दिया जा सकता है कि वे समस्या की परिभाषा लिखें, ऐसे कानून की पहचान करें जिसके माध्यम से समस्या का संभावित समाधान निकाला जा सकता है, और यह कि उनके अनुसार समस्या का हल क्या हो सकता है। लिखित परीक्षा में उन्हें उनके क्षेत्र के निवासियों को प्रभावित करने वाली किसी समस्या के संबंध में संबंधित सरकारी विभाग को शिकायत पत्र लिखने के लिए भी कहा जा सकता है। सूचना के अधिकार की अर्जी, पत्र और निबंध का आंकलन उसमें उपयोग किए गए तर्क, भाषा और अभिव्यक्ति की स्पष्टता के आधार पर किया जा सकता है।

दूसरा चरण एक मौखिक परीक्षा हो सकती है। इसमें एक समूह चर्चा और इंटरव्यू किया जा सकता है। यह उम्मीदवारों के लिए एक मौका होता है जहां वे अपने आत्मविश्वास, वर्तमान मामलों के बारे में जानकारी और उनके संभावित कार्य के भौगोलिक क्षेत्र की जानकारी के आधार पर अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। इन सभी आंकलनों के आंकड़ों के आधार पर उम्मीदवारों का अंतिम चयन हो सकता है। नौकरी की घोषणा के बाद उम्मीदवारों के चयन की इस प्रक्रिया में 45 दिन तक का समय लग सकता है।

4.2 प्रशिक्षण

सौराष्ट्र, गुजरात में सामुदायिक सहभागियों के संघ का शुभारंभ

उम्मीदवारों के चुनाव के बाद उन्हें पैरालीगलों द्वारा उपयोग किए जाने वाले तरीकों, समस्याओं के समाधान प्राप्त करने की रणनीतियों और महत्वपूर्ण पर्यावरण कानूनों पर प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। प्रशिक्षण की शुरुआत में कुछ कक्षा सत्र हो सकते हैं जिनमें लैक्चर, प्रस्तुतियां और अभ्यास शामिल हों। प्रशिक्षण में 'काम करते हुए सीखना' भी शामिल किया जा सकता है। नए पैरालीगल वरिष्ठ पैरालीगलों के साथ सरकारी कार्यालयों, क्लाइन्टों और सामुदायिक सहभागियों के साथ मिलने और उनके मामलों के समाधान ढूंढने की प्रक्रिया में उनका सहयोग कर सकते हैं। काम करते हुए सीखने की यह प्रक्रिया लगभग 90 दिनों तक चल सकती है, जिसके बाद पैरालीगल अपने खुद के मामले खोल सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, पैरालीगलों को एक साल में कम–से–कम एक बार उनकी जानकारी को ताज़ा करने के लिए प्रशिक्षण के लिए बुलाना चाहिए जिसमें कानूनों की नई जानकारी, मामलों पर चर्चाएं और मामलों का हल निकालने के तरीकों, समुदायों को संगठित करने के लिए क्षमता–वर्धन, सबूत इकट्ठे करने के लिए उपकरणों का उपयोग या कुछ विशिष्ट पर्यावरणीय विषयों पर बेहतर समझ बनाने पर काम किया जाए। इस प्रकार के प्रशिक्षण यह सुनिश्चित करते हैं कि पैरालीगल निरंतर सीखते रहें और उनकी जानकारी तथा मामलों का समाधान करने की क्षमताएं बढ़ती रहें।

पैरालीगल प्रशिक्षण के लिए एजेन्डा के प्रारूप के लिए परिशिष्ट 3 देखें

पैरालीगलों के मामलों की सूचि, उनके प्रकार और किस प्रकार के संस्थानों के साथ वे काम कर रहे हैं, इस के आधार पर प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किए जा सकते हैं। प्रशिक्षण के तरीकों में आम तौर पर पाठ्य सामग्री और मामलों पर अभ्यास, सामूहिक और व्यक्तिगत प्रस्तुतियां, कानूनी प्रश्नोत्तरी और बहसें शामिल की जानी चाहिए, जिससे कि पैरालीगलों को अपनी सीख को दर्शाने के पर्याप्त मौके मिल सकें।

इन प्रशिक्षणों के लिए कानूनी हैंडबुक, प्रणाली के नोट्स या मार्गदर्शिकाएं और पर्चे तैयार करना उपयोगी रहता है, जिन्हें पैरालीगल बाद में अपने मामलों पर काम करने के लिए संदर्भ सामग्री के रूप में इस्तेमाल कर सकें। इस प्रकार की सामग्री को आसानी से पढ़ने लायक फॉर्मेट, जिन्हें समय–समय पर अपडेट किया जा सके, में प्रकाशित करना सबसे प्रभावी रहता है। यह इसलिए कि नए प्रकार के मामलों या अन्य कारणों से कानूनों में होने वाले बदलाव और पैरालीगलों द्वारा उपयोग किए जाने वाले तरीकों में संशोधनों के लिए जगह बनाई जा सके। आम तौर पर पैरालीगल का किसी संयोजक या संयोजकों द्वारा पर्यवेक्षण किया जाना चाहिए जिसके लिए साप्ताहिक चैक–इन और मासिक अपडेट बैठक की जा सकती है। प्रत्येक संयोजक छः से आठ पैरालीगलों का पर्यवेक्षण कर सकते हैं।

ओडिशा में पैरालीगलों के मामलों पर आधारित टीम स्तरीय प्रशिक्षण

4.3 पर्यवेक्षण और सहयोग

कार्यक्रम के संयोजक कानूनों, अध्ययन प्रणालियों और समुदायों के संगठन बनाने के काम से अच्छी तरह से वाकिफ़ होते हैं। जिन मामलों में वे पैरालीगल से दूर रहते हैं, वहां संयोजक फोन पर साप्ताहिक चैक–इन कर सकते हैं। अन्य मामलों में, संयोजक और पैरालीगल सप्ताह में एक बार मिल सकते हैं। संक्षेप में, संयोजक की तीन मुख्य भूमिकाएं होती हैं कि वे पैरालीगल को कानूनी जानकारी, समाधान प्राप्त करने के लिए रणनीतियां और मामलों के आंकड़े इकट्ठे करने में सहयोग दें। यह साप्ताहिक और मासिक रिपोर्टिंग की प्रक्रिया के माध्यम से किया जा सकता है।

साप्ताहिक रिपोर्ट

पैरालीगल अपने पर्यवेक्षक या संयोजक को सप्ताह में एक बार अपने मामलों की प्रगति की रिपोर्ट दे सकते हैं। अगले कदमों की योजना बनाते समय रणनीतियों, उनके द्वारा की गई कार्यवाही और सरकारी संस्थानों के जवाब के विषयों पर चर्चा की जा सकती है। साप्ताहिक रिपोर्ट में यह जानकारी शामिल की जा सकती है:

- चल रहे मामलों का संक्षिप्त विवरण, पिछले सप्ताह में क्या काम किया गया इस पर ज़ोर देते हुए आगे आने वाले सप्ताह की कार्ययोजना
- नए या संभावित मामलों का विवरण
- हल कर लिए गए/बंद कर दिए गए/निष्क्रिय मामलों पर अपडेट
- अन्य की गई कार्यवाही

प्रगति पर नज़र रखने का स्वाभाविक उद्देश्य प्राप्त करने के अलावा, यह पैरालीगल और संयोजक के लिए ऐसे अवसर भी होते हैं जहां वे मिलकर किसी जटिल मामले के लिए अगले कदमों के बारे में रणनीतियां तैयार कर सकें और रचनात्मक हल ढूंढ सकें। इस प्रक्रिया से तुरंत प्रतिक्रिया प्राप्त हो जाती है और इससे मामलों में समयोचित तरीके से आगे बढ़ने में मदद मिलती है जिससे कि जल्दी-से-जल्दी समाधान प्राप्त किया जा सके।

मासिक बैठकें

संयोजक द्वारा सभी पैरालीगलों के साथ माह में एक बार बैठक करना उपयोगी रहता है। यह पैरालीगलों के लिए ऐसा मंच होता है जहां वे एक–दूसरे के मामलों से सीखते हैं और मिलकर संभावित समाधानों के बारे में सोच सकते हैं तथा अपने सभी मामलों की प्रगति पर नज़र रख सकते हैं। यह मासिक बैठकें हमजोली सीख प्रक्रिया और बैठकें आयोजित करने और अपने मामलों के बारे में बात करने की क्षमता बढ़ाने में मदद करती हैं। मामलों के फार्म और केस फाइलों को भी इन चर्चाओं में उपयोग किया जा सकता है।

इन साप्ताहिक और मासिक बैठकों के अलावा, पैरालीगल मामलों के बारे में सुझाव लेने के लिए संयोजक से जब चाहें तब संपर्क कर सकते हैं। यह खासकर तब अपेक्षित है जब पहले से बनाई गई योजना के अनुसार की गई कार्यवाही काम न आ रही हो और दोबारा रणनीति बनाने की आवश्यकता हो।

अनुपालन क्राउडसोर्सिंग वैबसाइट, जो कि परियोजनाओं के गैर–अनुपालन पर नज़र रखने का एक उपकरण है, को उपयोग करने संबंधी क्षेत्रीय प्रशिक्षण

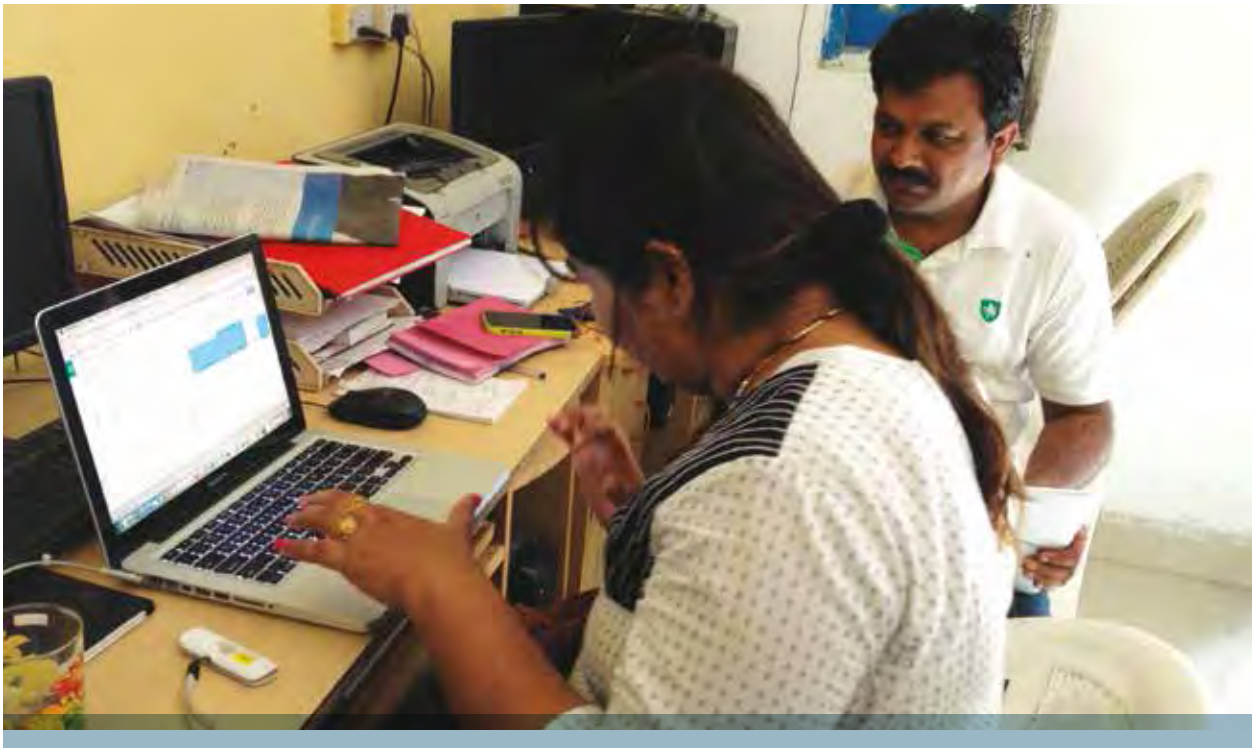

गुजरात में एक पैरालीगल पर्यवेक्षक पैरालीगल को ऑनलाइन डेटाबेस में मामले की जानकारी दर्ज करना सिखाते हुए

अध्ययन सहयोग

संयोजकों और पैरालीगल की टीम के सहयोग में अध्ययन टीम होना बेहद उपयोगी होता है, जो मामलों और उनकी प्रगति का विश्लेषण करती है। अध्ययन टीम पैरालीगलों से साप्ताहिक रिपोर्टें ले सकती है ओर मासिक बैठकों में भी भाग ले सकती है। मामलों से प्राप्त आंकड़ों पर कड़ी नज़र रखते हुए, केस ट्रैकिंग फार्म में एकत्रित जानकारी और ऐक्शन लॉग मामले के डेटाबेस में संकलित किए जा सकते हैं। यह डेटाबेस महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध करा सकता है।

उदाहरण के लिए, 2014 के मामलों के डेटाबेस का उपयोग करते हुए यह पता चला कि पैरालीगल टीम की सफलता का दर 33 प्रतिशत रहा। डेटाबेस से यह भी पता चला कि समुद्र तटीय निवासियों को सी.आर.ज़ेड स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ जमा करवाने के लिए की गई मदद सबसे सफल रही। इसमें यह भी दर्शाया गया कि मामलों के सफल समाधान प्राप्त करने के लिए कम–से–कम दो या तीन संबंधित संस्थानों के पास जाना पड़ता है।

मामलों से प्राप्त जानकारी को पैरालीगल कार्यप्रणाली और निष्पादन को बेहतर बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, इसके उपयोग से कानून और संस्थागत प्रक्रियाओं में ढांचागत बदलावों के लिए सबूत-आधारित प्रस्ताव भी तैयार किए जा सकते हैं।

उदाहरण के लिए, भारत में, मामलों से प्राप्त आंकड़े दर्शाते हैं कि पैरालीगलों के पास कई मामले आ रहे थे जहां पर्यावरणीय मंजूरी में दी गई शर्तों का अनुपालन न किए जाने के कारण मछुआरे और किसान प्रभावित हो रहे थे। इस जानकारी के आधार पर, कार्यक्रम के अंतर्गत पैरालीगलों के लिए पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्रक्रिया के विषय पर एक प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किया गया। उसके बाद से, ऐसे मामलों के परिणाम बेहतर होने लगे जहां सरकारें या कंपनियां इन शर्तों में दी गई सावधानियों का उल्लंघन कर रही थीं। डेटाबेस के उपयोग से इस प्रकार की रिपोर्टें नियमित समयावधि में तैयार की जा सकती हैं क्योंकि इससे हर मामले में विभिन्न पहलुओं पर जानकारी एकत्रित करने में मदद मिलती है।

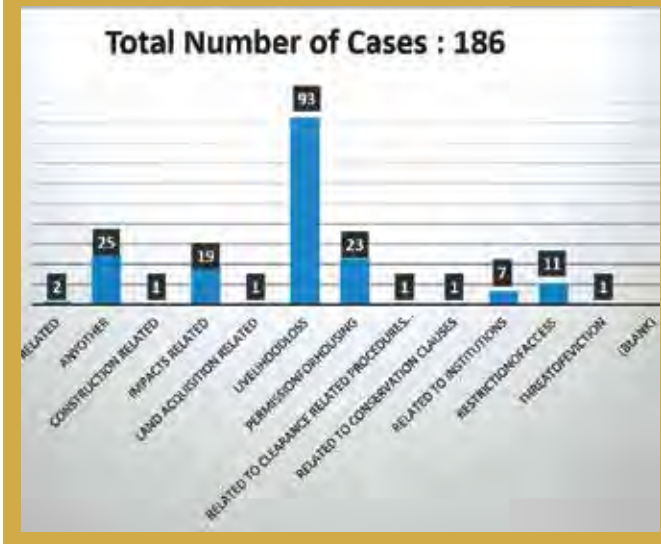

Database last updated on:		CPR -NAMATI Environment Justice Database Tracker			Written acknowledgement of the problem by the concerned institutions	Site inspection by the concerned institutions	Written directive of action issued by the concerned institutions (either to erring party/other institutions)		
S.No.	State Case No.	Case Name	Paralegal Name(code)	Status	Date of achieving Milestone 1	Date of achieving Milestone 2	Date of achieving Milestone 3	Did the CP/affected community participate in the site visit?	
1	GJ 1	Dalda Bandar	Hasmukh	Awaiting directions of action after the concerned department has acknowledged the problem.	08-05-2016		16-06-2016		Partia
2	GJ 2	DLCC Devbhumi Dwaraka	Hasmukh	Awaiting enforcement after the concerned department has issued directions of action					Partia
3	GJ 3	DLCC Geer Somnath	Manish Thavar						Full w
4	GJ 4	DLCC Valsad	Manisha Goswami						Full w
5	GJ 5	CVCA- Kutch	Meenakshi Kapoor	Awaiting for the concerned department to acknowledge the problem.					
6	GJ 6	Coal Handaling Guide line	Bharat Patel						Full w

तालिका: भारत में पैरालीगल मामलों के लिए डेटाबेस ट्रैकर

सौराष्ट्र, गुजरात में सामुदायिक सहभागियों के संघ के शुभारंभ के लिए आयोजित बैठक

सहयोगी व संपर्क बनाना

पैरालीगल के लिए ज़रूरी है कि वे अपने क्लाइन्ट समूहों या सामुदायिक सहभागियों के संघ तैयार करें। यह ऐसे मंच हो सकते हैं जहां पर मामलों में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा, मामलों के समाधानों के रुझान समझना, उपयोगी रणनीतियों को एक दूसरे के साथ बांटना और यहां तक कि सामूहिक कार्यवाही द्वारा मामलों पर काम भी किया जा सकता है। ऐसे लोगों से भी संबंध बना कर रखना ज़रूरी है जो उनके मामलों को आगे बढ़ाने में भूमिका निभा सकते हैं। ये लोग वकील, वैज्ञानिक, कार्यकर्ता, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता, राजनैतिक नेता, स्थानीय निर्वाचित प्रतिनिधि या गैर–सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि हो सकते हैं। ये ऐसे व्यक्ति/ संस्थाएं हैं जिनकी मामलों के समाधान निकालने के लिए, समय–समय पर मदद ली जा सकती है। मामलों में सफलता की संभावना बढ़ाने के अलावा, इन लोगों के साथ संबंध बनाए रखने से पैरालीगल की विश्वसनीयता भी बढ़ती है। कार्यक्रम के द्वारा पैरालीगलों को ऐसे अवसर व मंच उपलब्ध कराए जा सकते हैं, जहां वे ऐसे ही मुद्दों पर काम करने वाले अनुभवी वकीलों, विषय विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों और गैर–सरकारी संस्थाओं से मिल सकें। पैरालीगल, अपने संयोजकों के साथ चर्चा करके, इस प्रकार की स्थितियों में इन लोगों से संपर्क कर सकते हैं :

- पैरालीगल स्वयं मामले का समाधान नहीं कर पा रहे
- मामले के प्रभाव बेहद गंभीर हैं
- मामले में आपातकालीन स्थिति शामिल है
- मामले के व्यापक कानूनी प्रभाव होने की संभावना है

इन व्यक्यिों से कार्यक्रम स्थापित करते समय भी मदद ली जा सकती है, जैसे कि पैरालीगल प्रशिक्षण के लिए या एक सलाहकारी समूह के रूप में जो समय–समय पर मिलता रहे। ये लोग न सिर्फ पैरालीगल के काम में सहयोग के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि वे कार्यक्रम के लिए दूत का भी काम करते हैं और सरकार, वित्तीय संस्थाओं तथा अन्य संस्थानों के बीच कार्यक्रम के बारे में बात फैलाने में भी मदद करते हैं।

4.4 मूल्यांकन

कर्नाटक में पैरालीगल और एक स्थानीय नाटक समूह द्वारा नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति, जिसमें बताया गया कि तटीय विनियमत क्षेत्र कानून मछुआरों को किस प्रकार मदद कर सकता है

मूल्यांकन पैरालीगल कार्यक्रम की प्रभाविता का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह कार्यक्रम में शामिल सभी लोगों के प्रदर्शन में निरंतर सुधार के लिए ज़रूरी है, और लोगों को बताने के लिए कि कार्यक्रम की क्या उपलब्धियां रही हैं और वे किस प्रकार प्राप्त हुई। मूल्यांकन के तरीके हर केस फार्म में शामिल किए जा सकते हैं या फिर अध्ययन टीम इसे एक अलग कार्यक्रम के रूप में भी कर सकती है, या दोनों तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं। मूल्यांकन को समय-समय पर नियमित रूप से किया जाना चाहिए जिससे कि इससे मिलने वाली प्रतिक्रियाएं समयोचित और प्रासंगिक रहें।

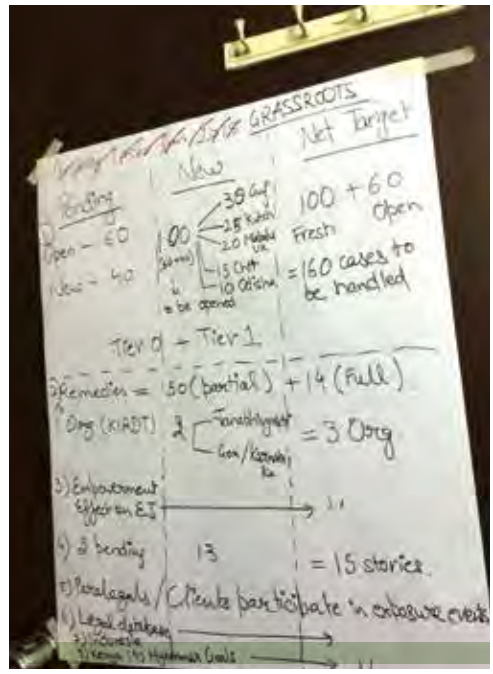

भारत में पैरालीगल मामलों के मध्य–कालीन मूल्यांकन के परिणामों का हाथ से बनाया हुआ चार्ट

अंततः प्रत्येक मामले का तीन स्तरों पर मूल्यांकन करना ज़रूरी है।

1 समाधान

पैरालीगल प्रत्येक मामले पर काम करके एक स्पष्ट अनुपालना–संबंधी समाधान प्राप्त कर सकते हैं जिससे प्रभाव पैदा करने वाले वर्तमान स्रोत को संबोधित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, पैरालीगल सुनिश्चित करते हैं कि कोयले से भरे ट्रकों को नियमों के अनुपालन अनुसार ढक के ले जाया जाए, जिससे कि वायु में धूल के कारण होने वाले प्रभावों को कम किया जा सके। लेकिन, पहले हो चुकी क्षति को संबोधित करने के लिए, पैरालीगल और प्रभावित समुदाय मिलकर अन्य समाधानों, जैसे कि मुआवज़े के लिए भी काम कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि भविष्य में भी अनुपालना होती रहे, वे ऐसे समाधानों के लिए पैरवी कर सकते हैं जैसे, ऐसी सभी ट्रक कंपनियां जो बिना ढके ट्रक चलाती हैं, उनके लिए दंड का प्रावधान हो या फिर समुदाय द्वारा संचालित चैक–पोस्ट जहां पर यात्रा शुरू करने से पहले सभी ट्रकों को ढका जाए।

मामले में जिन भी अनुपालना और अतिरिक्त समाधानों के लिए पैरवी की जाए, उनका मूल्यांकन ज़रूर किया जाना चाहिए कि उन्होंने अनुपालना करना शुरू किया या नहीं और पहले और/या भविष्य में होने वाली क्षति के भार को संबोधित किया या नहीं। पर्यावरणीय न्याय के मामले अक्सर दोबारा प्रकट होने की प्रवृत्ति रखते हैं और इनके समाधान भी अस्थायी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, क्लाइन्टों और पैरालीगलों के प्रयासों के बाद गैर–कानूनी रेत खनन या भू–जल निकासी रुक सकती है। लेकिन, संभव है कि यह कुछ समय बाद फिर से शुरू हो जाए। इसलिए, किसी समाधान को स्थायी मानने के लिए समय–सीमा निर्धारित करना उपयोगी रहता है। किसी मामले को बंद करने के लिए, ज़रूरी है कि पैरालीगल और क्लाइन्ट निर्धारित समयावधि के बाद समस्या के स्थल की दोबारा जांच कर लें। यदि गैर–कानूनी गतिविधि इस समयावधि के अंदर ही दोबारा शुरू हो जाती है, तो मामला दोबारा खुल जाता है। मगर यदि गतिविधि इस समयावधि के बाद शुरू होती है, तो नया मामला खोला जाता है।

ज़्यादातर संदर्भों में, आंशिक समाधान प्राप्त करने में भी काफी प्रयास, समय, कानूनी जानकारी और संस्थाओं के साथ काम करना पड़ता है। अतः, आंशिक समाधानों को भी सकारात्मक प्रगति के रूप में स्वीकार किया जाता है।

2 कार्यवाहियां

इस स्तर पर, मामले के समाधान में किस चीज़ का योगदान रहा, उसका मूल्यांकन किया जाता है। हालांकि मामले के समाधान में कई पहलुओं की भूमिका रहती है, उसमें पैरालीगल की भूमिका को स्थापित करना ज़रूरी है। मामले को बंद करते समय, पैरालीगल को सुनिश्चित करना चाहिए कि मामले का हल निकालने में सफलता में उनकी भूमिका के सबूत मौजूद हों। इसके लिए क्लाइन्ट, समाधान निकालने में शामिल सरकारी अफसरों के बयान, मीडिया रिपोर्टें या सरकारी परिपत्र/आदेश/सूचना के अधिकार के अंतर्गत जवाब आदि शामिल किए जा सकते हैं।

3 कानूनी सशक्तिकरण

कानूनी सशक्तिकरण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होता है समुदायों और प्रभावित लोगों की कानून को समझने और उपयोग करने की क्षमताएं बढ़ाना। अतः पैरालीगल के काम या कार्यक्रम के मूल्यांकन में कुछ ऐसा तरीका शामिल होना चाहिए जिससे कि वे जिनके साथ काम कर रहे हैं उनकी कानूनी जानकारी और क्षमताओं का भी मूल्यांकन किया जा सके। यह व्यक्तिगत स्तर पर या कुछ मामलों के लिए नमूने के तौर पर किया जा सकता है। इसके मूल्यांकन के लिए देखा जा सकता है कि क्लाइन्ट या सामुदायिक सहभागियों को मामले में शामिल कानूनों और संस्थानों की जानकारी है या नहीं और यह भी कि क्या वे इसी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे अन्य लोगों को इस जानकारी के आधार पर मदद कर पाते हैं या नहीं। इस प्रकार के मूल्यांकन करने का एक अच्छा तरीका है समुदाय के सदस्यों को पैरालीगल द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल करना।

क्लाइन्टों के साथ मामले के समाधान के बाद भी संपर्क बनाए रखना ज़रूरी है। इससे ऐसे उदाहरणों का रिकार्ड रखने में मदद मिलेगी जिन में क्लाइन्ट ने स्वयं ऐसे ही मामले का समाधान किया हो या क्लाइन्ट खुद पैरालीगल की तरह काम करने लगे हों। इस प्रकार के उदाहरणों से मूल्यांकन प्रक्रिया और अधिक पुष्ट बनती है।

मूल्यांकन को कार्यक्रम का नियमित और उपयोगी अंश बनाने के लिए, इसे सामुदायिक सहभागियों/क्लाइन्टों के साथ बैठकों के ज़रिए समय-समय पर करते रहना चाहिए (जो कि व्यावहारिक पहलुओं, जैसे कि स्टाफ और संसाधनों की उपलब्धता पर आधारित हो)। जिन क्लाइन्टों या समुदायों के लिए काम किया गया है, उनका इंटरव्यू और प्रश्नावली के माध्यम से तीसरी पार्टी द्वारा मूल्यांकन भी करवाया जा सकता है जिससे कि 'सशक्तिकरण प्रभाव' का अध्ययन किया जा सके।

समाधान

कार्यवाहियां

कानूनी सशक्तिकरण

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1

नीति सुझावों के पत्र का नमूना

प्रणीति अनुसंधान केन्द्र
CENTRE FOR POLICY RESEARCH

Dharma Marg, Chanakyapuri, New Delhi-110021 (India)
Tel : 26115273 - 76 Fax : 91-11-26872746
E-mail: cprindia@vsnl.com Website: www.cprindia.org

7th November 2016

Shri Hardik Shah
Member Secretary, Gujarat Pollution Control Board
Block No: 14/8th Floor, New Sachivalaya
Sector 10 A, Gandhinagar
Phone: 079 2325660, email: hardik_73@yahoo.com

Subject: Regarding issuing State Level Mineral Handling Guidelines

Dear Mr Shah,

We are associated with the Centre for Policy Research (CPR)-Namati Environment Justice Program and have been working to address environmental impacts in several parts of coastal Gujarat.Through our work in Gujarat, we have been working with people whose lives and livelihoods have been impacted due to the mishandling of minerals during their mining, transportation and storage. Our experience and documentation is based on handling over ten cases in the Saurashtra coast in the districts of Jamnagar, Devbhoomi dwarka and Junagadh, where there have been instances of complaints being filed to the Gujarat Pollution Control Board (regional and central offices) to address these issues.

This experience has led us to identify that there are no guidelines that address the social and environmental and social impacts arising out of mining, transportation, storage and handling of minerals (other than coal). We have therefore put together suggestions to frame guidelines to mitigate some of these social and environmental impacts for your consideration.

As per Section 17 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 the Gujarat Pollution Control Board (GPCB) is responsible for prevention, control and abatement of air pollution and has powers to perform such activities that it thinks are necessary for carrying into effect the purposes of the Act. Similar provisions are also there in Section 17 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974. Also under Section 31A of the Air Act and Section 33A of the Water Act, GPCB has the power to issue directions to any person, officer or authority, subject to the provisions of the Acts. There is also precedence of the GPCB in issuing Guidelines for Coal Handling Units, which has been extremely useful in mitigating impacts across the states.

We therefore urge the GPCB, using the powers vested to it under the Air and Water Acts to issue Guidelines for storage, transportation and handling of Minerals for the State of Gujarat so as to address the social and environmental impacts on the health, livelihoods & natural resources that are

caused while transporting, storing and handling minerals. These guidelines cover minerals such as Bauxite, Bentonite, Limestone, Quartz, but is not limited to these but is extendable to the list of minerals in the annexure, which is reviewed on an annual basis by GPCB.

SUGGESTED MINERAL HANDLING GUIDELINES

The following safeguards and conditions should be made legally binding on anyone who is engaged in mining, storage, transportation and handling of minerals:-

1. **Citizen's Participation in Monitoring & Enforcement**
   We urge GPCB to use the powers given to it under Section 24 of the Air Act and Section 23 of the Water Act which allows GPCB to empower any person to perform any function entrusted by the Board and allow for citizen's participation in monitoring and enforcement. The GPCB has itself through a circular on 4/2/2016[1] has made way for certification for third party inspection for orange industries, we request the GPCB to expand its definition for better compliance of environmental standards. Besides the use of technology, another effective way for better compliance is by including the active participation of affected communities as third party monitors, who could enhance enforcement through the collection of legally admissible evidence. By empowering the community that are facing the impacts of non-compliance of these guidelines, the GPCB can be assisted in monitoring the enforcement of these guidelines. We would be happy to share our experience of handling close to 10 cases in Gujarat on how community worked with the GPCB in monitoring the implementation of Guidelines on Coal Handling issued by GPCB in 2010. In ten cases, these guidelines have been successfully followed to reduce the impacts arising out of coal handling in ports, coke oven plants, power plants and during transportation.

2. Transportation of minerals

(i) All the transport vehicles when loaded with minerals for any kind of transport should be sprinkled with water and sealed tightly with sheets or any other air sealed material so as to ensure that there will be no spillage of minerals.

(ii) Poor conditions of roads are found to have direct linkage with the air pollution levels.[2]The access roads from the mining areas should be concretised. If these roads are not concretised, then measures should be taken to ensure sprinkling of water on these roads by the project proponents. For project proponents having mining leases for more than 30 years, these roads should be compulsorily concretised. As the mining companies are there for a longer period, it will be financially more viable for the company as well as environmentally sound to concretize roads and minimize the environmental impacts.

(iii) The project proponent should mandatorily plant trees of the access roads so as reduce the impacts in case mineral dust falls from the transport vehicles. The trees that are to be planted should be based on the soil type. For example in the coastal areas Sharu (CasuarinaEquisetifolia) can be planted, Piludi (Salvadora) which has a higher survival rate could also be planted[3].The selection of the species for plantation can be done under the

---

[1] http://www.gpcb.gov.in/Portal/News/121_1_343763.pdf

[2] Nair, A. (2016. September 16).Pollution Control Board report: Air pollution on the rise in Gujarat, both in cities and industrial clusters. *The Indian Express.* Retrieved fromhttp://indianexpress.com/article/india/india-news-india/pollution-control-board-report-air-pollution-on-the-rise-in-gujarat-both-in-cities-and-industrial-clusters-3012467/

[3] RajendrasinhMansinhKashtrya v Gujarat Pollution Control Board &Ors, NGT 2013

supervision of a multi village level committee along with the relevant government departments like forest, horticulture.

(iv) Usually the transportation of minerals is done during night time, which makes it difficult to check if the rules are being adhered to. It should be made mandatory that the transportation of minerals occurs during day time, where the plying of the transport vehicles should be staggered, so as to avoid traffic jams. The number of transport vehicles that should ply within a time period can be decided upon after conducting studies by a committee that would be composed of the members from GPCB, the State Transport Department, atleast three local community representatives, members from the local bodies like the nagar palika, gram panchayat.

(v) The vehicles carrying the minerals should not be overloaded, as per the parameters laid down by the Ministry of Road Transport and Highways[4]. Overloading of trucks increases pollution levels[5], it has also been banned by the Supreme Court in 2005[6].

(vi) Electronic Weigh Bridges, should weigh at every centre from where the mineral is loaded and transported, so as to check the overloading of the trucks. Digital data on weight should be directly linked with PCB, which should be made available to the general public.

3. Storage of minerals

In this section the storage of minerals includes storage at the place of mining, when used as a raw material, at stockyards, ports, during transit.

(i) The storage of any kind of mineralat the place of mining, where used as a raw material, at ports during transit, for transportation of theses mineralsshould be done in covered structures.Further the storage of the mineral should take place at a height below the level of the wall of the storage area.

(ii) There should be a wall of 9m height to check the escape of dust, as even prescribed in the Coal Handling Guidelines issued by the GPCB on further areas while storage, transport or any related movement.

(iii) Green belts should be developed around the place where the mineral is stored in a radius of atleast 15 m to check the dust pollution due to stronger breeze. The availability of the land for this green belt should be checked before the consent is given.

(iv) Surface water (rains, streams, creeks etc) should be intercepted and diverted from entering the mining site to reduce potential for water contamination. [7]

(v) Rain water should be captured through use of liners and pipes and stored in a tank to prevent the potentially contaminated water from entering groundwater or flowing off site.It needs to be ensured that the water is either used for sprinkling or reused for the company's purposes after treating this water.

---

[4]National Highway Authority letter (2015, March 27) Retrieved from http://nhai.org.in/spw/CorrespondenceIssues/nhai%20l.no.2663..pdf

[5]Overloaded trucks cause more pollution, accidents. (2014, April 29). *The Hindu.* Retrieved fromhttp://www.thehindu.com/todays-paper/tp-national/tp-newdelhi/overloaded-trucks-cause-more-pollution-accidents/article5958270.ece

[6]Government to penalise truck overloading. (2014, July 28). *India Water Portal.*http://indiatransportportal.com/government-to-penalise-truck-overloading-27688

[7]http://www.miningfacts.org/Environment/How-is-water-managed-and-treated-in-mining/ , Lottermoser, B., *Mine Wastes: Characterization, Treatment and Environmental Impacts*, 2012, Springer: New York

(vi) Detailed studies should be conducted by a committee comprising of members from GPCB, atleast 3 local community representatives, local authoritiesto determine the optimum distancefrom farmlands and human settlements. Until such studies are conducted, distances as prescribed under the Coal Handling Guidelines should be used. The minerals should be stored at a distance of atleast 250m from farmlands and human settlements. Any other mining and related activities should be taken place at not less than 500m radius from any water body, historic places, religiously important places, railway lines, schools, universities, colleges, expressway both national and state ways, rivers, etc.

(vii) Water sprinklers/dry fogging system should be installed in the mineral storage areas by the project proponents.

4. Others

(i) There should compulsorily be dust controlling units installed in the processing units.

(ii) All the mining rejects should be dumped in one decided place by following the prescribed guidelines that are issued by the State Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) or the GPCB.

(iii) It should be ensured that the mine operators all plant grasses, plants and trees in these dumps as per the condition that is given in the Environment Clearance condition prescribed by the SEIAA.

We are willing to share our experience in handling close to 10 cases in Gujarat related to mineral handling with the GPCB. We are also willing to work together with the GPCB in the framing of these guidelines.

Sincerely,

Bharat Patel
Program Manager

Vijay Rathod
Enviro-Legal Coordinator

Hasmukh Dhumadiya
Envrio-Legal Coordinator

Ker Jayendrasinh
Enviro-Legal Coordinator

Kanchi Kohli
Legal Research Director

परिशिष्ट 2

शिकायत पत्र का नमूना

Shri .V. Thirupugaz
Development Commissioner (Rural Dev.)
Dr. Jivraj Maheta Bhavan,
Gujarata S te
Block No. 1 3, Gandhinagar

Jadeja Natubha Rams
At. Lifra
Ta. Mundra
Dist. Kutch
Date:- 15/09/2014

Dear Mr. Thirupugaz ,

We the under signed people belong to Lifra village of Kutch district. Our village has a population of about 700, most of which are traditionally engaged in occupation of agriculture and animal husbandry. We are able to sustain ourselves and support our families through these occupations. Sir, we would like share with you that we have been using a piece of common land (called'gauchar' locally) at-Survey N. 141/ 5 for more than 50 years for grazing our cattle. This common land is critical for us because our animals graze here, we don't have to purchase fodder for them from the market. This reduces our cost and makes animal husbandry a livelihood alternative for us. In our village we have been maintaining peace and harmony, acknowledging and respecting rights of all communities of the village.

Sir, here, we would like to draw your attention to a recent development which has put our traditional occupation under threat. This common land has been allocated to private companies namely (1) Rajendrasinhji Svarajji (2) Gurukrupa mines and co. Ltd. on 25th October 2012 for mining black trap. Apart from being used for animal grazing, there is a check dam constructed by the Gujarat government and a natural water body for the use of cattle. Nine more mining lease proposals for common lands from Lifra village are pending to be considered. Once mining starts, we will not able to graze our cattle there and looking to survive, we may have to move to a new location. It means more than 70% of the families of our village will have to migrate .

Here we would like to share with you that we have already written to the Mamlatdar and District Collector but have not received any satisfactory response. While this problem was still looming large on us and we were looking to resolve it, we came to know of the judgment of the Supreme Court of India- **<u>Civil Appeal No. 1132/2011 @ SLP(C) No. 3109/2011</u> {arising out of Special Leave Petition (Civil) CC No. 19869 of 2010; Jaspal Singh & Others V/s State of Punjab & Others}. It** states:

"In many states Government orders have been issued by the State Government permitting allotment of Gram Sabha land to private persons and commercial enterprises on payment of some money. In our opinion all such Government orders are illegal, and should be ignored."

"We give directions to all State Governments in the country that they should prepare schemes of eviction of illegal/unauthorized occupants of Gram Sabha/Gram Panchayat/Poramboke/Shamlat land and these must be restored to the Gram Sabha/Gram Panchayat for the common use of villagers of the village. For this purpose chief secretaries of all State Governments/Union Territories in India are directed to do the needful, taking the help of other senior officers of the Governments...Regularization should only be permitted in exceptional cases e.g. where lease has been granted under some Government notification to landless labourers or members of Scheduled Castes/Scheduled Tribes, or where there is already a school, dispensary or other public utility on the land."

After this Judgment, the office of the Development Commissioner, Gujarat, passed a circular on 4th March 2011stating that powers of removing encroachments on common land are deligated to the Panchayats.

It should be noted that the above-mentioned leases were sanctioned in October 2012 when the Supreme Court Judgement had already been given in 2011. Hence, these leases have been granted without taking any acknowledgement of the Supreme Court Judgement. There has been non-compliance of the order of the Supreme Court and the circular from the Development Commissioner's office.

Sir, we request you to take action in the matter. We would also like to present before you our expectation that:

- already sanctioned mining leases of the Gauchar land in Lifra village be cancelled, and
- no more new leases or land allocations be granted for Gauchar land from Lifra village to private parties in future.

We sincerely hope you will pay attention to our concerns and take immediate action in the matter.

Thanking you

1. JADEJA NATUBHA RAMSANGJI —
2. JADEJA JALUBHA HATHISANGJI —
3. JADEJA CHATURSINH VAGHJI —
4. JADEJA BHUPATSINH MADHUBHA — B. M.
5. JADEJA MAHIPATSINH MADHUBHA — M. M.
6. JADEJA SVAROOPSINH SOMBHA —

C.C.:-

1- District Collector Kutch - Bhuj .

2-Mamlatdar Mundra , Kutch

Enclosed:

1- Satellite Image with Lat. Long. (Google earth)

2- Revenue Map with survey number

3- Copy of Memorandum submitted to the District Collector Kutch .

परिशिष्ट 3

पैरालीगल प्रशिक्षण के एजेन्डा का नमूना

NAMATI-CPR EJ PARALEGAL RETREAT
ENVIRONMENTAL JUSTICE AND DELIBERATIVE DEMOCRACY
5th to 9thFebruary, 2017

Day 1 (5th)

9:00-11:00: Introductions

11:00-1:00
WHAT HAVE OUR 2016 CASES TAUGHT US?
(Presentations by teams on achievements, failures, confusions and challenges)

1:00-2:00: LUNCH

2:00-4:00
ASSESSMENT OF OUR WORK: *(On cases; clients: sites and addressing the compliance gap)*

4:00-5:30
WHAT IS EJ? HOW IS IT DIFFERENT FROM ENVIRONMENTALISM?

5:30-6:30: Games

6:30-8:30: Movie

Day 2 (6th)

9:00-10:30
GROUP EXERCISE: UNDERSTANDING ENVIRONMENTAL JUDGEMENTS FROM THE SUPREME COURT AND THE NGT

10:30-1:00
WHAT ARE REMEDIES FOR EJ?

1:00-2:00: LUNCH

2:00-3:00
EJ CASE FORM CHANGES and CLIENT FOLLOW UP FORM

3:00-4:00
HOW TO GET FROM CASES TO POLICY?

4:00-5:00
GROUP EXERCISE: The government wants recommendations on Section 10 of the EIA Notification. Teams to prepare submissions
(The Minister of Environment should be happy with the content and the Chief Secretary must be convinced that it can be implemented)

5:00-7:00: GAMES

7:00-8:30: MOVIE

Day 3 (7th)

9:00-11:00
AISE TAISE DEMOCRACY: STATE-CITIZEN RELATIONSHIP: *Team Presentation*

11:00-1:00
MODELS OF SOCIAL ACTION: POWER AND AGENCY: *Team Presentation*

1:00-2:00: LUNCH

2:00-3:30
EXERCISE: Who are you inspired by? What is it about the person that inspires you?

3:00-5:30
MODELS OF DELIBERATION: HOW TO TAKE DECISIONS COLLECTIVELY?

5:30-7:00: GAMES

7:00- 8:30: MOVIE

Day 4 (8th)

9:00-11:00
GROUP EXERCISE: PARLIAMENTARY DEBATE ON LAW MAKING:

11:00-1:00
INDIA'S ENVIRONMENTAL LAWS: A SHORT HISTORY
HIERARCHY OF LAWS

1:00-2:00: LUNCH

2:00-4:30
UNDERSTANDING EJ WORK IN KENYA AND ZIMABABWE

4:30-6:00
MOZAMBIQUE'S HEALTH ADVOCATES

6:30 onwards: DANCE PARTY!

DAY 5 (9th)

10:00-11:30
Surprise session

12:00 onwards departures

तडाडी, उत्तर कन्नडा में मछली पकड़ने वाली जेटी, जहां कर्नाटक सरकार द्वारा एक विशाल व्यापारिक बंदरगाह प्रस्तावित किया जा रहा है